झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान–सभा
पंचम (बजट)–सत्र
वर्ग–03

12 फाल्गुन, 1937 (श0)
निम्नलिखित तारांकित प्रश्न,बुधवार,दिनांक :–.....को
02 मार्च, 2016 (ई0)

झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
705	पेय0– 52	श्री अमित कुमार	पानी की आपूर्ति	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	22.02.16
706	ग्राम0–29	श्री योगेश्वर महतो	नगर परिषद में शामिल करना	ग्रामीण विकास	12.02.16
707	न0– 28	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	रिक्त पदों पर नियुक्ति	नगर विकास	16.02.16
708	पथ– 42	श्री मनोज कु0 यादव	नाली का निर्माण	पथ निर्माण	14.02.16
709	पथ– 64	श्री नवीन जयसवाल	ब्रिज का निर्माण	पथ निर्माण	25.02.16
710	परि0–04	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता	बस सेवा प्रारंभ करना	परिवहन	12.02.16
711	पथ– 45	श्रीमती निर्मला देवी	पुल का निर्माण	पथ निर्माण	16.02.16
712	ग्राम–33	श्री आलोक कुमार चौरसीया	पुल का निर्माण	ग्रामीण विकास	12.02.16
713	न0– 14	श्री जय प्रकाश सिंह भोगता	सिवरेज ड्रेनेज का निर्माण	नगर विकास	12.02.16
714	पथ– 35	श्री ताला मराण्डी	ओभर ब्रीज का निर्माण	पथ निर्माण	14.02.16
715	परि0–10	श्री नागेन्द्र महतो	अवैध वसूली पर रोक	परिवहन	17.02.16
716	पेय– 33	श्री रवीन्द्र नाथ महतो	मानदेय का भुगतान निर्माण	पेयजल एवं स्वच्छता	16.02.16
717	पेय– 48	श्री अनन्त कु0 ओझा	राशि में वृद्धि करना	पेयजल एवं स्वच्छता	17.02.16

कृ0पृ030/

01	02	03	04	05	06
718-	न0- 38	श्री मनीष जयसवाल	बकाये वेतन का भुगतान	नगर विकास	22.02.16
719-	ग्राम-132	श्री दीपक बिरुवा	पथ का निर्माण	ग्रामीण विकास	22.02.16
720-	ग्राम-154	श्री प्रकाश राम	राशि उपलब्ध कराना	ग्रामीण विकास	25.02.16
721-	ग्राम-19	श्रीमती जोबा मांझी	पुलिया का निर्माण	ग्रमीण विकास	12.02.16
722-	न0- 43	श्री ढुलू महतो	वाहन पड़ाव का निर्माण	नगर विकास	25.02.16
723-	न0- 27	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	अतिक्रमण से मुक्त कराना	नगर विकास	16.02.16
724-	ग्राम-124	डा0 जीतु चरण राम	पथ का निर्माण	ग्रामीण विकास	17.02.16
725-	ग्राम-86	श्री फूलचंद मंडल	पथों का निर्माण	ग्रामीण विकास	14.02.16
726-	ग्राम-03	श्री अशोक कुमार	पुल एवं पुलिया का निर्माण	ग्रामीण विकास	12.02.16
727-	पेय-51	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	योजना को चालु करना	पेयजल एवं स्वच्छता	22.02.16
728-	पथ-65	श्री रामचन्द्र सहिस	सड़क का चौड़ीकरण	पथ निर्माण	25.02.16
729-	भ- 07	श्रीमती निर्मला देवी	भवन का निर्माण	भवन निर्माण विभाग	12.02.16
730-	ग्राम-47	श्री निरल पूरती	अधुरे कार्य को पूर्ण करना	ग्रामीण विकास	12.02.16
731-	भ- 10	श्री योगेन्द्र प्रसाद	दोषियों को दंडित करना	भवन निर्माण विभाग	22.02.16
732-	ग्राम-147	श्री रामचन्द्र सहिस	सड़क का निर्माण	ग्रामीण विकास	25.02.16
733-	पेय-43	श्री केदार हाजरा	जलमिनार को चालू करना	पेयजल एवं स्वच्छता	17.02.16
734-	परि0-13	श्री नारायण दास	बस का संचालन करना	परिवहन	18.02.16
735-	न0- 09	श्री विरंची नारायण	टाउन हॉल का निर्माण	नगर विकास	12.02.16
736-	ग्राम-123	श्री हरिकृष्ण सिंह	पुलों का निर्माण	ग्रामीण विकास	17.02.16
737-	पेय-45	श्री चाम्पाई सोरेन	जलापूर्ति प्रारंम्भ करना	पेयजल एवं स्वच्छता	17.02.16
738-	ग्राम-94	श्री जयप्रकाश वर्मा	काम देने पर विचार	ग्रामीण विकास	14.02.16
739-	ग्राम-128	श्री नागेन्द्र महतो	अधिकार प्रदान करना	ग्रामीण विकास	18.02.16
740-	पेय-44	श्री केदार हाजरा	पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करना	पेयजल एवं स्वच्छता	17.02.16
741-	परि0-14	श्री निर्भय कु0शाहाबादी	समायोजन एवं लंबित वेतन का भुगतान	परिवहन	22.02.16
742-	पेय-22	श्री रामकुमार पाहन	पेयजल की व्यवस्था	पेयजल एवं स्वच्छता	14.02.16
743-	न0-34	श्रीमती विमला प्रधान	रेपीड ट्रांजीट सिस्टम स्वीकृत करना	नगर विकास	17.02.16

कृ0 पृ0 उ0-

01	02	03	04	05	06
744	न0-33	श्री सुखदेव भगत	योजनाओं को पूरा करना	नगर एवं आवास	16.02.16
745	पेय-42	श्रीमती गीता कोड़ा	चपाकल की मरम्मति	पेयजल एवं स्वच्छता	17.02.16
746	ग्राम-78	श्री जानकी प्र0 यादव	पुलों का निर्माण	ग्रामीण विकास	14.02.16
747	पेय-24	श्री फूलचन्द्र मंडल	पेयजलापूर्ति करना	पेयजल एवं स्वच्छता	14.02.16
748	ग्राम-34	श्री विरंची नारायण	प्रखण्ड का निर्माण	ग्रामीण विकास	12.02.16
749	ग्राम-149	श्रीमती सीता सोरेन	पदा0 पर कार्रवाई	ग्रामीण विकास	25.02.16
750	पथ-13	श्री कुणाल षाड़ंगी	ओभर ब्रीज का निर्माण	पथ निर्माण	12.02.16
751	परि-12	श्री आलमगीर आलम	लाइसेंस निर्गत करना	परिवहन	17.02.16
752	पथ-61	श्री राजकुमार यादव	पथ का निर्माण	पथ निर्माण	25.02.16
753	पेय-37	श्री नलिन सोरेन	पेयजल मुहैया करान	पेयजल एवं स्वच्छता	16.02.16
754	ग्राम-68	श्री विदेश सिंह	पुलिया का निर्माण	ग्रामीण विकास	12.02.16
755	न0-18	डा0 इरफान अंसारी	भवन को मुक्त करना	नगर विकास	14.02.16
756	पथ-47	श्री अरूप चटर्जी	फ्लाई ओवर का निर्माण	पथ निर्माण	16.02.16
757	परि-05	श्री कुणाल षाड़ंगी	अंश्दान देना	परिवहन	12.02.16
758	ग्राम-138	श्री शिवशंकर उराँव	ग्रामसभा को अधिकार देना	ग्रामीण विकास	25.02.16
759	पथ-58	श्री दशरथ गागराई	पथ को परिवर्तित करना	पथ निर्माण	22.02.16
760	पेय-67	श्री ग्लेन जोसेफ गॉल्सटन	पेयजलापूर्ति करना	पेयजल एवं स्वच्छता	25.02.16
761	न0-44	श्री राजकुमार यादव	योजनायें शुरू करना	नगर विकास	25.02.16
762	ग्राम-72	श्री रामकुमार पाहन	पथ का निर्माण	ग्रामीण विकास	14.02.16
763	ग्राम-155	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	पुल का निर्माण	ग्रामीण विकास	25.02.16
764	परि-02	श्री जगरनाथ महतो	बस सेवा शुरू करना	परिवहन	12.02.16
765	न0-49	श्री शिवशंकर उराँव	दोषियों पर कार्रवाई	नगर विकास	25.02.16
766	पथ-57	श्री दशरथ गागराई	कार्य को पूर्ण करना	पथ निर्माण	22.02.16
767	ग्राम-07	श्री राधाकृष्ण किशोर	भवन का निर्माण	ग्रामीण विकास	12.02.16
768	ग्राम-69	श्री विदेश सिंह	पुल का निर्माण	ग्रामीण विकास	12.02.16
769	ग्राम-98	श्री मनोज कु0 यादव	पथ का जीर्णोद्धार	ग्रामीण विकास	14.02.16
770	पथ-26	श्री रवीन्द्रनाथ महतो	पथ की मरम्मति	पथ निर्माण	12.02.16
771	न0-37	श्री चाम्पाई सोरेन	उचित कार्रवाई करना	नगर विकास	22.02.16
772	पथ-29	श्री पौलुस सुरीन	पुल का निर्माण	पथ निर्माण	10.02.16
773	ग्राम-82	श्री ताला मराण्डी	कानूनी कार्रवाई करना	ग्रामीण विकास	14.02.16
774	न0-07	श्री योगेश्वर महतो	कार्यालय का निर्माण	नगर विकास	12.02.16
775	ग्राम-35	श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता	भवन का निर्माण	ग्रामीण विकास	12.02.16

कृ0पृ030----

01	02	03	04	05	06
776	न0-36	श्री नारायण दास	प्रदुषण से मुक्त करना	नगर विकास	18.02.16
777	ग्राम-131	श्री दीपक विरूवा	पथ का निर्माण	ग्रामीण विकास	22.02.16
778	ग्राम-119	श्रीमती गीता कोड़ा	अभियंता पर कार्रवाई	ग्रामीण विकास	17.02.16
779	पेय-56	श्री विकास कु0 मुण्डा	पेयजलापूर्ति करना	पेयजल एवं स्वच्छता	25.02.16
780	पथ-46	डा0 जीतुचरण राम	पथ का निर्माण	पथ निर्माण	16.02.16
781	ग्राम-104	श्री नलिन सोरेन	पूलों का निर्माण	ग्रामीण विकास	16.02.16
782	पेय-08	श्री आलोक कुमार चौरसीया	दोषियों पर कार्रवाई	पेयजल एवं स्वच्छता	12.02.16
783	ग्राम-122	श्री हरिकृष्ण सिंह	दुकान का आवंटन	ग्रामीण विकास	17.02.16
784	पथ-22	श्री निरल पूरती	पथ का निर्माण	पथ निर्माण	10.02.16
785	पथ-62	श्री प्रकाश राम	पथ का निर्माण	पथ निर्माण	25.02.16
786	ग्राम-156	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	पूलों का निर्माण	ग्रामीण विकास	25.02.16
787	न0-21	श्री प्रदीप यादव	दोषियों पर कार्रवाई	नगर विकास	14.02.16
788	पेय-63	श्री राज सिन्हा	राशि का आवंटन	पेयजल एवं स्वच्छता	25.02.16
789	ग्राम-142	डा0 अनिल मुर्मू	सड़क का निर्माण	ग्रामीण विकास	25.02.16
790	न0-15	श्री शशिभूषण सामड़	नगरपालिका क्षेत्र से हटाना	नगर विकास	12.02.16
791	ग्राम-20	श्रीमती जोबा मांझी	पथ का जीर्णोद्धार	ग्रामीण विकास	12.02.16
792	ग्राम-77	श्री जानकी प्र0 यादव	पुल का निर्माण	ग्रामीण विकास	14.02.16
793	पेय-25	डा0 इरफान अंसारी	पेयजल की व्यवस्था	पेयजल एवं स्वच्छता	17.02.16
794	पेय-40	श्री अमित कुमार	योजना स्वीकृत करना	पेयजल एवं स्वच्छता	16.02.16
795	ग्राम-139	श्री ढुलू महतो	प्रखण्ड का निर्माण	ग्रामीण विकास	25.02.16
796	पेय-46	श्री अनन्त कुमार ओझा	चापाकल की मरम्मति	पेयजल एवं स्वच्छता	17.02.16
797	ग्राम-02	श्री अशोक कुमार	सड़क की मरम्मति	ग्रामीण विकास	12.02.16
798	पथ-16	श्री राधाकृष्ण किशोर	पथ का निर्माण	पथ निर्माण	10.02.16
799	पेय-55	श्री मनीष जायसवाल	पेयजल उपलब्ध कराना	पेयजल एवं स्वच्छता	25.02.16
800	न0-13	श्री जयप्रकाश सिंह भोगता	पथ का निर्माण	नगर विकास	10.02.16
801	ग्राम-97	श्री प्रदीप यादव	नियुक्ति पर विचार करना	ग्रामीण विकास	14.02.16
802	पथ-54	श्री खुखदेव भगत	रिंग रोड का निर्माण	पथ निर्माण	18.02.16
803	पेय-61	श्री लक्ष्मण टुडू	पेयजल की सुविधा देना	पेयजल एवं स्वच्छता	25.02.16
804	ग्राम-148	श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी	दोषियों पर कार्रवाई	ग्रामीण विकास	25.02.16
805	ग्राम-143	श्री योगेन्द्र प्रसाद	पैकेज देन पर विचार	ग्रामीण विकास	25.02.16

रॉची,
दिनांक-02मार्च,2016ई0।

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉची।

कृ0पृ0उ0---

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-05/15-1783/वि0स0,राँची,दिनांक-29/02/16

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/अन्य मंत्रिगण/मु सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.02.16

(अनिल कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-05/15-1783/वि0स0,राँची,दिनांक-29/02/16

प्रतिलिपिः-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक,सचिवीय कार्यालय को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय,अपर सचिव एवं संयुक्त सचिव (प्रश्न प्रभारी) को सूचनार्थ प्रेषित।

29.02.16

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-05/15-1783/वि0स0,राँची,दिनांक-29/02/16

प्रतिलिपिः-कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

29.02.16

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

मंगल

नितेश
28/2/16

705

माननीय विधायक श्री अमित कुमार, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय–52 का उत्तर

क्रं	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाला उत्तरः–
1	क्या यह बात सही है कि सिल्ली विधान–सभा के राहे प्रखण्ड के घनबसार में पानी टंकी का कार्य अधूरा है?	अस्वीकारात्मक। इस विभाग से कोई पानी टंकी का कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त पानी टंकी का शिलान्यास दिनांक–27.11.2013 को करने के साथ मात्र बोरिंग कर के छोड़ दिया गया है?	अस्वीकारात्मक। विभाग द्वारा शिलान्यास कार्य नहीं किया गया है, वस्तु स्थिति यह है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा उक्त बोरिंग नहीं किया गया है। धनबसार कि आबादी 270 है एवं 4 चापाकल है जो चालू है, जो राष्ट्रीय मानक के दो गुणा से ज्यादा है एवं पर्याप्त है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित पानी टंकी का निर्माण कार्य पूरा करने के साथ वित्तीय वर्ष 2015–16 में टंकी से राहे प्रखण्ड क्षेत्र में पानी की आपूर्ति करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	खण्ड(1) एवं (2) में उत्तर स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः 8/वि0स0(ता0)–20/2016 (पेय0) — 395/SWSM दिनांक 27-2-2016

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक 1335 वि0स0 दिनांक 22.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

KMH
27/2/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः 8/वि0स0(ता0)–20/2016 (पेय0) — 395/SWSM दिनांक 27-2-2016

प्रतिलिपिः अवर सचिव (प्रशाखा–5), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

KMH
27/2/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

NRDWP, Mukesh

(706)

श्री योगेश्वर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–29 का उत्तर सामग्री

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि बोकारो का उत्तरी विस्थापित क्षेत्र का शिबुटाँड़, पचौरा, बैधमारा, आगरडीह, महुआरा, बनसिमली, श्यामपुर एवं चिरूडीह न तो नगर परिषद में आता है, और न ही पंचायत में आता है ?	स्वीकारात्मक है । प्रश्नगत क्षेत्र बी0एस0एल0 के लिए अधिग्रहित कर हस्तांतरित की जा चुकी है ।
(2) क्या यह बात सही है कि उक्त राजस्व गाँव के नगर परिषद या पंचायत में नहीं रहने से वहाँ के ग्रामीण विकास कार्यों से वंचित है तथा कई तरह की परेशानियों को झेल रहे हैं	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त राजस्व गाँव को नगर परिषद या पंचायत के अधीन रखना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक है । प्रश्नगत ग्राम/टोला की भूमि बी0एस0एल0 को हस्तांतरित की जा चुकी है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भूमि का स्वामित्व बी0एस0एल0 में निहित कर दिया गया है एवं इसके विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में एस0एल0पी0 दायर किया गया है । अतएव वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आलोच्य ग्राम/टोलों को नगर परिषद/ पंचायत के अधीन किया जाना तत्काल संभव नहीं है ।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांकः–01स्था (वि0)–63/2016–726–/, राँची, दिनांकः– 1.3.16

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 583 दिनांक 12.02.2016 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/3/16
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– –01स्था (वि0)–63/2016–726–/, राँची, दिनांकः– 1.3.16

प्रतिलिपिः– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/ माननीय मंत्री, पंचायती राज के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

1/3/16
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– –01स्था (वि0)–63/2016–726–/, राँची, दिनांकः– 1.3.16

प्रतिलिपिः– उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमंडल) मामले, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

1/3/16
सरकार के अवर सचिव

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–न०–28 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के नगर निकायों में 66 प्रतिशत पद रिक्त है;	आंशिक स्वीकारात्मक। नगर निकायों में विभिन्न संवर्ग के पद रिक्त हैं।
2	क्या यह बात सही है कि रिक्त पदों के कारण झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 प्रभावी तरीके से लागू करने में समस्या आ रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। तत्काल कार्यहित में विभाग द्वारा नगर प्रबंधक एवं अभियंत्रण संवर्ग के विभिन्न स्तर के पदों पर संविदा आधारित सेवायें प्राप्त की गई हैं, जिनके द्वारा सरकारी कार्य निष्पादित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त नगर निवेशन सेवा के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजी गई है तथा अन्य पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचनायें भेजी जा रही हैं।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–01/वि०म०प्र० (ता०)–04/2016/न०वि०आ०....1003........ राँची, दिनांक– 24/02/16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप सं० प्र०–947/वि०स० दिनांक–16.02.2016 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/02/16

सरकार के अवर सचिव।

manju/D/B.Shabh Quesa-143

708

मा0, स0वि0स0, श्री मनोज कुमार यादव द्वारा दिनांक 02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ 42 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत बरही चौराहा से गया जाने वाली पथ निर्माण विभाग के सड़क की दोनों ओर नाली नहीं रहने से जल जमाव एवं गंदगी का ढेर लगा रहता है जिससे वहाँ आमजनों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित नाली में निर्माण हो जाने से बरही वासी लाभांवित होंगे ;	आंशिक स्वीकारात्मक ।
3. यदि उक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त नाली का निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	स्थिति का आकलन कर आवश्यकतानुसार प्रस्ताव हेतु कार्यपालक अभियंता पथ प्रमण्डल हजारीबाग को मुख्य अभियंता (या0) कार्यालय के पत्रांक 481 दिनांक 26.02.2016 द्वारा निदेशित किया गया है ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–37 / 2016 1357(S) राँची / दिनांक : 29/2/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 768 दिनांक 14.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

ह0 अस्पष्ट 29/02/16
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–37 / 2016 1357(S) राँची / दिनांक : 29/2/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

ह0 अस्पष्ट 29/02/16
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

709

मा0, स0वि0स0, श्री नवीन जयसवाल द्वारा दिनांक 02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ 64 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि कांठीटांड तिलता के पास एन0एच0–75 एवं रिंग रोड आपस में जुटती है एवं यहाँ पर कोई ब्रिज नहीं है जिस कारण आये दिन हमेशा दुर्घटना होती रहती है एवं दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है ; 2. यदि उक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त स्थिति को देखते हुए उक्त स्थान पर ब्रिज बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	काठीटांड में एन0एच0–75 एवं रिंग रोड के जंक्शन पर यातायात सुचारू एवं व्यवस्थित करने हेतु उसी लेबल पर जंक्शन के विकास (at grade junction improvement) का कार्य रिंग रोड के निर्माणाधीन सेक्शन–VII (काटीटांड से विकास पथांश) कार्य में सम्मिलित है जिसे ससमय पूर्ण किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–72/2016 1365(5) राँची/दिनांक : 29/2/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1516 दिनांक 25.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

पी० मुर्मू
29/02/16
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–72/2016 1365(5) राँची/दिनांक 29/2/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

पी० मुर्मू
29/02/16
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(710)

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची

दिनांक 02–03–2016 को श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–परि०–04 की उत्तर सामग्रीः–

	प्रश्नकर्त्ता श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता माननीय स०वि०स०		*उत्तर* माननीय श्री सी० पी० सिंह मंत्री परिवहन, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हरिहरगंज प्रखण्ड तथा हुसैनाबाद प्रखण्ड झारखण्ड बिहार की उत्तरी तथा पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है ;	–	उत्तर – स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित हरिहरगंज तथा हुसैनाबाद से राँची (झारखण्ड की राजधानी) आने के लिए बस की सुविधा नहीं है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी होती है ;	–	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पलामू द्वारा हरिहरगंज से राँची मार्ग पर बस परिचालन हेतु छः परमिट निर्गत किये गये हैं। हुसैनाबाद से राँची मार्ग पर बस परिचालन के लिए इच्छुक आवेदकों से परमिट निर्गमन हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये थे । वर्त्तमान में कोई आवेदन इस मार्ग हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पलामू को प्राप्त नहीं है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिला के हरिहरगंज तथा हुसैनाबाद से राज्य की राजधानी राँची के लिए ए०सी० वातानुकूलित बस सेवा प्रारंभ कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	–	राँची से पलामू के लिए वातानुकूलित द्रुतगामी डिलक्स बस सेवा प्रारंभ की जा चुकी है। हरिहरगंज तथा हुसैनाबाद मार्ग के लिए ए०सी० बस परिचालन हेतु आवेदन प्राप्त होते हैं, तो इन्हें नियमानुसार परमिट निर्गत किया जाएगा ।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक –परि०वि०(वि०स०)–46/2016 394 **/राँची,दिनांक** 01-3-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय राँची को उनके पत्रांक–571 दिनांक 12.02.2016 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ /उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित ।

1/3/16
सरकार के संयुक्त सचिव

711

मा0, स0वि0स0, श्रीमती निर्मला देवी द्वारा दिनांक 02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ 45 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि कोडरमा से राँची रेलवे लाइन का किए जा रहे कार्य के अंतर्गत ग्राम सिंधवार कला बरकाकाना में न्यू रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है ;	स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि आस–पास के गाँव के जानवर तथा खेतीबारी हेतु किसानों के आवागमन का एक मात्र रास्ता होने के कारण स्टेशन निर्माण तथा रेल लाइन 20 फीट नीचे बिछाए जाने के कारण बगैर उच्च पथ पूल के बर्गर निर्माण के आवागमन बाधित हो सकती है ;	कोडरमा से राँची न्यू रेलवे लाईन का निर्माण रेलवे द्वारा किया जा रहा है । यह रेलवे की परियोजना है ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उच्च पथ पूल का निर्माण ग्राम सिंधवार कला में कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–51/2016 1386(s) राँची/दिनांक : 01/03/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 921 दिनांक 16.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

01-03-2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–51/2016 1386(s) राँची/दिनांक : 01/03/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

01/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

712

श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–02.03.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–33

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री आलोक कुमार चौरसिया,माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।**
1. क्या यह बात सही है कि 2005–07 में लगभग पलामू जिला के चैनपुर प्रखण्ड, ग्राम–अवसाने में कोयल नदी पर पुल का निर्माण किया गया था ;	स्वीकारात्मक है। (दिनांक–14.10.2008 को पुल निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया था)।
2. क्या यह बात सही है कि कोयल नदी पंर बने पुल नदी के तेज बहाव के कारण बह गयी है, जिससे अवसाने, चाँदो, सोकरा एवं चुंगाबासडीह पंचायत के लोगों का शहर से सम्पर्क टूट गया है जिससे पंचायत में महामारी, डायरिया एवं अन्य बिमारियों होने पर शहर जाने के लिए 30 कि0मी0 अधिक सफर करना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक है। (दिनांक–23.09.2011 को पुल क्षतिग्रस्त हो गया)।
3. क्या यह बात सही है कि अफसाने पंचायत स्थित ध्वस्त पुल का पुनः निर्माण कर देने से शहर की दूरी कम हो जायेगी जिससे लोगों को शहर जाने में सुविधा होगी ;	स्वीकारात्मक है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में उक्त पुल का निर्माण करना चाहेगी, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	इस पुल निर्माण हेतु दो बार निविदा आमंत्रित की गई। इस पुल के पहुँच पथ में 0.12 हेक्टेयर वन भूमि पड़ने के कारण वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पलामू को अनापत्ती हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर अग्रेत्तर कारवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 48/2016/ग्रा0का0 1093 राँची, दिनांक : 29-2-16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–646 वि0स0 दिनांक 12.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/2/16
(आसिफ हसन)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 48/2016/ग्रा0का0 1093 राँची, दिनांक : 29.2.16

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

29/2/16
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 48/2016/ग्रा0का0 1093 राँची, दिनांक : 29.2.16

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

713

श्री जय प्रकाश सिंह भोगता, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक–02.03.2016 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–न०–14 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जिला–चतरा के शहर मुख्यालय में ड्रेनेज एवं सिवरेज की समुचित व्यवस्था नहीं है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि चतरा में ड्रेनेज एवं सिवरेज की समुचित व्यवस्था हेतु DPR तैयार की जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि जिले में उक्त व्यवस्था नहीं होने के कारण शहर के जनताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चतरा शहर में ड्रेनेज एवं सिवरेज का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात् ड्रेनेज एवं सिवरेज निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–05 / न०वि० (तारांकित)–22 / 2016.....966..... राँची, दिनांक– 22/02/16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप सं० प्र०–574 / वि०स० दिनांक–12.02.2016 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/02/16
सरकार के उप सचिव।

मा0, स0वि0स0, श्री ताला मराण्डी द्वारा दिनांक 02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ 35 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सही है कि साहिबगंज जिला के मंडरो प्रखण्ड अंतर्गत बोआरीजोर से मिर्जाचौकी, मिर्जाचौकी से साहिबगंज एवं मिर्जाचौकी से पीरपैंती (बिहार राज्य को जोड़ने वाली) एक मात्र सड़क है ;	स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि मिर्जाचौकी क्षेत्र पत्थर उद्योग के लिए जाना जाता है, जिस पर प्रतिदिन हजारों छोटे–बड़े मालवाहक ट्रकों एवं यात्री वाहनों का आवागमन होता है ;	स्वीकारात्मक ।
3. क्या यह बात सही है कि मिर्जाचौकी बाजार में आए प्रतिदिन घंटो जाम लगा रहता है, जिस कारण खासकर विद्यालय जाने वाले छात्रों, अस्पताल जाने वाले रोगियों, ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को जाम में फँसे रहने के लिए बाध्य रहना पड़ रहा है ;	स्वीकारात्मक ।
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रतिदिन घंटो जाम में फँसे लोगों को निजात दिलाने के लिए वायपास सड़क या ओवर ब्रीज बनाने का विचार वित्तीय वर्ष–2016–17 में रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	पथ का उन्नयन कार्य मिर्जाचौकी से बोआरीजोर पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कराया जा रहा है जिसकी समाप्ति की तिथि 08.09.2017 निर्धारित है । पथ के दो लेन में चौड़ीकरण से जाम की समस्या से निजात प्राप्त होगी।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–38 / 2016 1358(1) राँची / दिनांक : 29/2/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 769 दिनांक 14.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

पी० मुर्मू
29/02/16
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–38 / 2016 1358(1) राँची / दिनांक : 29/2/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

पी० मुर्मू
29/02/16
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

मा0, स0वि0स0, श्री नागेन्द्र महतो द्वारा दिनांक 02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – परि0 10 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सही है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बगोदर के बगोदर प्रखण्डान्तर्गत घघरी ग्राम में जी0टी0 रोड, NH-2 पर नियम विरूद्ध गैर अधिकृत व्यक्तियों द्वारा टोल प्लाजा संचालित कर अवैध वसूली की जा रही है ;	अस्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित टोल पलाजा से अवैध वसूली एवं नियम विरूद्ध संचालन से सरकार को राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है ;	अस्वीकारात्मक ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित टोल प्लाजा को तत्काल बन्द करते हुये नियम सम्मत ढंग से संचालन करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	(i) जी0टी0 रोड एन0एच0–2 पर स्थित घघरी टोल प्लाजा (कि0मी0 346.100) पर टोल वसूली का संचालन भारत सरकार के गजट सं0–2794(ई0), दिनांक 16.11.2010 के अनुसार किया जा रहा है। (ii) कि0मी0 320.00 से कि0मी0 398.750 तक के बीच वाहनों के आवागमन हेतु नियमानुसार प्रयोक्ता शुल्क (user fee) ली जाती है। (iii)घघरी टोल प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण हेतु संवेदक मे0 भोलानाथ राजपति शुक्ला (JV) के साथ हुए अनुबंध के तहत रू0 1,24,88,980/–(एक करोड़ चौबीस लाख अठ्ठासी हजार नौ सौ अस्सी) का राजस्व प्रति सप्ताह भारत सरकार को प्राप्त होता है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–69/2016 1363(5) राँची/दिनांक : 29/2/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1108 दिनांक 17.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

पी० मुर्मू
29/02/16
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–69/2016 1363(5) राँची/दिनांक : 29/2/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

पी० मुर्मू
29/02/16
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

716

माननीय विधायक श्री रवीन्द्रनाथ महतो, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय0–33 का उत्तर

क्र0	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाला उत्तरः–
1	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला के नाला, कुंडहित एवं फतेहपुर प्रखण्ड अन्तर्गत जल सहिया बिना सरकारी सुविधा के ही कार्यरत है;	स्वीकारात्मक। सम्पूर्ण राज्य में एक रुप व्यवस्था है। जलसहिया सामुदायिक प्रतिनिधि है। कार्य के निश्चित कार्य के विरूद्ध भुगतान का प्रावधान है। वस्तुस्थिति यह है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधीन जलसहिया अनुबन्ध/नियमित पद पर कार्यरत नहीं है। विभागीय पत्रांक–1337/SWSM दिनांक– 17.10.2012 के आलोक में सिर्फ कार्य आधारित जैसे बेसलाईन सर्वे करने पर प्रति House Hold 2/- रुपये की दर से प्रोत्साहन राशि एवं विभागीय पत्रांक–1632/SWSM दिनांक– 23.09.2015 द्वारा IHHL (घरेलु वैयक्तिक) शौचालय के निर्माण एवं उपयोग होने पर प्रति House Hold की दर से 150/– रुपये पाईप वाटर सप्लाई में प्रत्येक कनेक्शन रुपये 75 तथा पाईप जलापूर्ति की जल सहयोग राशि सग्रहण पर 10% प्रोत्साहन राशि देने हेतु प्रावधान है, विभिन्न बैठकों में भाग लेने पर रुपये 5/km की दर से यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाता है। जलसहियाओं को कृत कार्य के परिमाण के अनुसार मानदेय भुगतान किया जाता है। जामताड़ा जिले में कुल 1071 ग्राम है जहॉ 1040 जल सहिया अभी कार्यरत है। कुण्डहित प्रखंड के कुण्डहित ग्राम की जल सहिया बेबीरानी नायक को वर्ष 2015–16 में अभी तक कुल 23,000 रुपये का मानदेय भुगतान किया गया है। इसी तरह कार्य के विरूद्ध भुगतान का प्रावधान है तथा भगुतान किया जाता है।
2	यदि उपर्युक्त विषय का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी प्रखण्डों के कार्यरत जलसहिया को उचित मानदेय देने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नही तो क्यों?	अस्वीकारात्मक। उपरोक्त कंडिका 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। कार्य के विरुद्ध मानदेय निर्धारित है एवं नियमित भुगतान किया जाता है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः 8/वि0स0(ता0)–13/2016 (पेय0) – 397/SWSM दिनांक 27.2.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक 918 वि0स0 दिनांक 16.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

KMH 27/2
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः 8/वि0स0(ता0)–13/2016 (पेय0) – 397/SWSM दिनांक 27.2.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव (प्रशाखा–5), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

KMH 27/2
अवर सचिव

217

माननीय विधायक श्री अनन्त कुमार ओझा, स०वि०स० द्वारा दि0–02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय० 48 का उत्तर

क्र०	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर:–
1	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के प्रखंड क्रमशः साहेबगंज, राजमहल एवं उधवा के 33 पंचायत अंतर्गत 78 ग्राम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के लोगों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ?	वस्तुस्थिति यह है कि साहेबगंज, राजमहल, उधवा, तालझारी, बोरियो एवं बरहरवा प्रखण्ड अन्तर्गत 33 पंचायतों के 78 राजस्व ग्राम गंगा के किनारे अवस्थित है। परन्तु केवल साहेबगंज के 4, राजमहल के 3, उधवा के 1 एवं बोरियो के 1 राजस्व ग्राम अर्थात् कुल 9 राजस्व ग्राम मुख्यतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है।
2	क्या यह बात सही है कि खंड (1) में वर्णित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नमामी गंगे परियोजनान्तर्गत शौचालय निर्माण का कार्य धीमा गति से चल रहा है तथा एक शौचालय का प्राक्कलन राशि मात्र रू० 12000/- है, जो दियारा एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए कम है।	अस्वीकारात्मक है। नमामि गंगे परियोजना के तहत कुल 33132 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण का लक्ष्य है जिसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए 5456 शौचालय एवं अन्य क्षेत्र के लिए 27676 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण होना है। अन्य क्षेत्र में लक्ष्य 27676 के विरूद्ध 24758 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हो चुका है, जो लक्ष्य का 90% है। यह स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के मार्गदर्शिका के अनुसार लाभुक को 12000/– रुपये प्रोत्साहन राशि के अनुरूप निर्मित है। शेष में बायो–टॉयलेट का निर्माण एवं अन्य कार्य यू.एन.डी.पी. (UNDP) द्वारा रू. 127 करोड़ से प्रारम्भ किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दो स्तर से प्राप्त हो चुकी है। अन्तिम आदेश शीघ्र अपेक्षित है।
3	क्या यह बात सही है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए एक शौचालय निर्माण की प्राक्कलित राशि कम है, जिससे कि उस क्षेत्र में इतने राशि से मजबूत शौचालय का निर्माण नहीं किया जा सकता है।	वस्तुस्थिति यह है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों हेतु बायो–टॉयलेट निर्माण की कार्य योजना है। कंडिका 2 में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है।
4	यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित प्रखंड के दियारा क्षेत्र अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में शौचालय निर्माण की प्राक्कलित राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	वस्तुस्थिति कंडिका 2 में पूर्णतः स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः SBM(G)/विधान सभा प्रश्न–47/2/2016– 410/SWSM दिनांक 29.2.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप सं0 1125 वि0स0, दिनांक 17.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

KMM 29/2/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः SBM(G)/विधान सभा प्रश्न–47/2/2016– 410/SWSM दिनांक 29.2.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव (प्रशाखा–5), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

KMM 29/2/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

718

श्री मनीष जयसवाल, माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक–02.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या नं0–38 का उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 615 (5) में विहित प्रावधानान्तर्गत खान पर्षद, हजारीबाग के कर्मियों की सेवा सम्बद्ध नगर विकास विभाग में समायोजित किये जाने संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति दिनांक–15.04.2015 के राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में की गई है;	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि खान पर्षद, हजारीबाग के कर्मियों की सेवा समायोजन नगर विकास विभाग में नहीं अपितु खान पर्षद, हजारीबाग के क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले शहरी स्थानीय निकायों में करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान की गई थी।
2.	क्या यह बात सही है खंड–1 में वर्णित विभागीय पदाधिकारियों के लापरवाही व उदासीनता के कारण उक्त कर्मियों की सेवा अबतक समायोजित नहीं होने के कारण उक्त कर्मियों को विगत 40 माह से वेतन नहीं मिल रही है, जिसके कारण उक्त कर्मियों की पारिवारिक जीवन अस्त–व्यस्त हो गई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है :– (क) प्रासंगिक मामले में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के पश्चात यह बिन्दु प्रकाश में आया कि समायोजन किये जाने वाले सूची में पाँच सेवा निवृत कर्मी एवं एक फरार कर्मी के स्थान पर छः बर्खास्त कर्मी का नाम शामिल कर दिया गया था। उक्त के आलोक में उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, खान पर्षद, हजारीबाग की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा प्राप्त की गई। उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, खान पर्षद, हजारीबाग से प्राप्त अनुशंसा का विभाग के द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। इस संबंध में खान पर्षद, हजारीबाग के विभिन्न पदों की संबद्ध शहरी स्थानीय निकायों में स्वीकृति एवं उपलब्धता, समान शैक्षणिक योग्यता, समान वेतनमान तथा कार्य प्रकृति से संबंधित बिन्दुओं पर विचार किया जा रहा है, जो प्रक्रियाधीन है। उक्त बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समायोजन की कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत की जायेगी। (ख) इनके वेतनादि का भुगतान खान पर्षद, हजारीबाग अथवा इनके समायोजन के बाद संबद्ध नगर निकायों के द्वारा उनके आन्तरिक राजस्व से किया जायेगा।
3.	यदि उपर्युक्त खंड़ों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में खंड–01 में वर्णित कर्मियों को उक्त अधिनियमन्तर्गत 01 (एक) माह के अन्दर उक्त विभाग में समायोजित कर सारे बकाये वेतन राशि का भुगतान करने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–01 / वि0मं0प्र0(ता0)–07 / 2016 / न0वि0आ0 1147 राँची, दिनांक– 01/03/16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्र ज्ञाप सं0 प्र0 1351 वि0 स0 राँची, दिनांक–22.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/03/16.
(राहुल कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

rk-Pankaj_udd_epro-126

719

श्री दीपक बिरूवा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–132 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री दीपक बिरूवा, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि प0 सिंहभूम जिलान्तर्गत सदर प्रखण्ड के टोन्टो पंचायत में सरायकेला मुख्य पथ ग्राम–घाघरा से ग्राम–गालुबासा चौक तक 03 कि0मी0 सड़क अत्यन्त ही जर्जर अवस्था में है;	1. स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ जर्जर होने के कारण स्थानीय ग्रामीणों को अवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	2. आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोकहित में उक्त पथ का निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	3. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में मा0 स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित कतिपय पथों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में बजटीय उपबंध सीमित है। अतः उक्त पथ वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में लिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–353 / 16 ग्रा0का0वि.....1097.....राँची / दिनांक–...29-2-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–1346, दिनांक–22.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–353 / 16 ग्रा0का0वि.....1097.....राँची / दिनांक–...29-2-16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–353 / 16 ग्रा0का0वि.....1097.....राँची / दिनांक–...29-2-16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

720

श्री प्रकाश राम, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–154 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0 सं0	प्रश्नकर्ता – श्री प्रकाश राम, मा0 स0वि0स0	उत्तरदाता– श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री (ग्रा0वि0वि0)
1.	क्या यह बात सही है कि जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना अंतर्गत अनुसूचित आदिम जनजाति के लिए आवास निर्माण योजना हेतु (बिरसा आवास) 2010–11 से 2014–15 तक लातेहार जिले में 295 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है।	अस्वीकारात्मक कल्याण विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अनुसूचित आदिम जनजातियों के लिए बिरसा आवास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक लातेहार जिला को 370 इकाई बिरसा आवास की स्वीकृति दी गई है।
2.	क्या यह बात सही है कि कल्याण विभाग ने 1,00,000 रू0 (एक लाख रूपये) की योजना राशि में 65,000 रू0 की राशि स्वीकृत कर जिले को भेज दिया है।	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि शेष 35,000 रू0 ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जिले को उपलबध नहीं कराई जाने के कारण एक भी बिरसा आवास पूर्ण नहीं किया जा सका है।	अस्वीकारात्मक वित्तीय वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं 2013–14 के लिए बिरसा आवास योजना अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग की अंश राशि लातेहार जिला को उपलब्ध करायी गयी है। वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2014–15 के लिए कल्याण विभाग द्वारा बिरसा आवास योजना अंतर्गत जिलों को आवंटित राशि का स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश की प्रति ग्रामीण विकास विभाग को अप्राप्त रहने के कारण विभाग की अंश राशि विमुक्त नहीं किया जा सका है।
4.	यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा देय राशि उपलब्ध कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2014–15 में बिरसा आवास योजना अंतर्गत आवंटित राशि के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग की अंश राशि दो माह में विमुक्त कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक 1217
ग्रा0वि0 08–वि0स0–20/2016

दिनांक 01/03/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0– 1539/वि0स0 दिनांक 25.02.2016 के क्रम में 200 प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2016
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक 1217
ग्रा0वि0 08–वि0स0–20/2016

दिनांक 01/03/16

प्रतिलिपि :– श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री (ग्रा0वि0वि0) के आप्त सचिव/श्री प्रकाश राम, माननीय स0वि0स0 के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2016
सरकार के अवर सचिव।

721

श्रीमती जोबा मांझी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–02.03.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–19

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती जोबा मांझी, माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।**
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत गोइलकेरा प्रखण्ड के डेरवाँ (महादेवशाल) तथा कुन्डी के बीच मुख्य मार्ग में तीन पुलिया का अभाव है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि डेरवाँ (महादेवशाल) एवं कुन्डी के बीच उक्त तीन पुलिया के नहीं होने से आवागमन में जनता को परेशानी हो रही है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में पुलिया का निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में एक पुल निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। सीमित बजट उपबंध रहने के कारण प्रश्नांकित पुल की स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 47 / 2016 / ग्रा0का0 1095 राँची, दिनांक : 29-2-16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–634 वि0स0 दिनांक 12.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आसिफ हसन)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 47 / 2016 / ग्रा0का0 1095 राँची, दिनांक : 29-2-16

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 47 / 2016 / ग्रा0का0 1095 राँची, दिनांक : 29-2-16

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(722)

श्री ढुलू महतो, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा से प्राप्त दिनांक–02.03.16 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–न0–43 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कतरास (पचगढ़ी) बाजार धनबाद जिला के प्रमुख व्यवसायिक केन्द्रों में से एक है ;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि कतरास बाजार में प्रतिदिन हजारों लोगों का आवागमन होता है, और पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग अपनी गाड़ियाँ सड़क किनारे जहाँ–तहाँ खड़ी कर देते है जिससे दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है और यातायात प्रभावित रहता है ;	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि कतरास (पचगढ़ी) बाजार के ठीक बगल में गुहीबांध बस पड़ाव अवस्थित है जो पार्किंग के लिए सर्वथा उपर्युक्त है।
3.	यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कतरास (पचगढ़ी) बाजार में वाहन पड़ाव के निर्माण का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–02 में स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक :–5 / न0वि0 / तारांकित–39 / 2016 1102 / राँची, दिनांक :– 29/02/16

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–1497, दि0–25.02.16 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।
29/2/16

723

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, माननीय स०वि०स०, के द्वारा झारखण्ड विधान सभा के चालू सत्र में दिनांक–02.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–न0–27 का उत्तर सामग्री :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची के करमटोली चौक से लेकर लालपुर स्थित डिस्टलरी तालाब स्थित चौड़े नाले का अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में जल संकट उत्पन्न हो गया है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के भवनों का नक्शा पास कर दिया गया है और बहुत से भवन बगैर नक्शे के ही अतिक्रमण करके बना दिये गये है ;	निगम क्षेत्र में आवासीय भवनों के नक्शे आवेदित भूमि पर मालिकाना हक के जाँचोपरान्त निगम द्वारा पारित किए गए हैं। दिसम्बर, 2015 में कुछ लोगों के द्वारा डिस्टलरी तालाब के किनारे अतिक्रमण की बात निगम के सामने आई। जाँचोपरान्त निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध झारखंड नगरपालिका अधिनियम–2011 के सुसंगत धारा एवं भवन उपविधि के अन्तर्गत नगर आयुक्त, राँची नगर निगम के न्यायालय में अनाधिकृत निर्माण वाद चलाया गया है, जिसकी सुनवाई चल रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	अनाधिकृत निर्माण वाद के सुनवाई के पश्चात् उक्त क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक :–8 / तारांकित / 107 / 2016 / न0वि0.....1162 राँची, दिनांक :– 01/03/16.

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–945 वि0स0, दि0–16.02.16 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01/03/16
सरकार के उप सचिव।

724

डॉ0 जीतू चरण राम, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–124 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
डॉ0 जीतू चरण राम, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि (1) भांट बोडेया से नाउज (बुढ़मू ठाकुरगाँव मुख्य पथ तक) भाया बंसर, सोबा, बेडवारी, कुलवे (2) माण्डर बुढ़मू मुख्य पथ (कोटारी बाजार के पास से) मुरूपिरी बुढ़मू मुख्य पथ तक (3) बाडे उमेश्वर सिंह के घर से गेसवे जोल तोपा तक (4) खेलारी शहीद चौक से डेगा डेगी नदी (लपरा) भाया खेलारी बाजार टाँड, नवाडीह, हेसालोंग एवं जागृति विहार (5) हुटाप (खेलारी) मोड से डॉन बोस्को स्कूल (मैक्लुस्कीगंज) भाया मायापुर पथ अति जर्जर होने के कारण आमजनों एवं सुरक्षा कर्मियों के आने जाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	1. स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि यह सघन आबादी वाला कृषि बाहुल क्षेत्र है तथा महत्वपूर्ण गाँवों को प्रखण्ड से जोडने वाली पथ है तथा उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है;	2. स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन वर्णित पथों को निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	3. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में मा0 स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित कतिपय पथों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में बजटीय उपबंध सीमित है। अतः उक्त पथ वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में लिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–332 / 16 ग्रा0का0वि.....1180.....राँची / दिनांक–....29-2-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–1109, दिनांक–17.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–332 / 16 ग्रा0का0वि.....1180.....राँची / दिनांक–....29-2-16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–332 / 16 ग्रा0का0वि.....1180.....राँची / दिनांक–....29-2-16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

श्री फूलचन्द मंडल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनाकं–02.03.16 को पूछा जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–86 की उत्तर सामग्री :–

725

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री फूलचन्द मंडल, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य विभाग)
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के गोविन्दपुर प्रखण्ड अन्तर्गत ताराजोरी से हरिहरपुर तक लगभग 3 कि0मी0 पथ की स्थिति काफी जर्जर है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के गोविन्दपुर प्रखण्ड अन्तर्गत शितलपुर स्कूल से सीमपाथर तक लगभग 4 कि0मी0 पथ की स्थिति काफी जर्जर है;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों पथ आस–पास के कई ग्रामों को प्रखण्ड मुख्यालय से जोड़ती है तथा इन पथों का निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों को आवागमन में असुविधा होती है;	स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त प्रश्न खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार खण्ड–1 एवं खण्ड–2 में वर्णित पथों का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में करना चाहती है, हाँ तो, कब तक, नहीं, तो क्यों?	सीमित बजटीय उपबंध के कारण प्रश्नाधीन पथ का निर्माण चालु वित्तीय वर्ष में संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–300 / 2016 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0).....1053.....राँची, दिनांक.....25-2-16

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–800 दिनांक–14.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–300 / 2016 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0).....1053.....राँची, दिनांक.....25-2-16

प्रतिलिपि– मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–300 / 2016 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0).....1053.....राँची, दिनांक.....25-2-16

प्रतिलिपि– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

726

श्री अशोक कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–02.03.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–03

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री अशोक कुमार, माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।**
1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत मेहरमा प्रखण्ड में खिरौंधी से बाजितपुर तक ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सड़क का निर्माण कराया जा रहा है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त रोड तीन स्थानों पर पुलिया एवं एक स्थान पर पुल निर्माण कराने की आवश्यकता है ;	स्वीकारात्मक है।
3. क्या यह बात सही है कि उक्त रोड में आवश्यक स्थानों पर पुल–पुलिया निर्माण नहीं होने पर सड़क का निर्माण होने के बाद भी उस सड़क की उपयोगिता नहीं है ;	स्वीकारात्मक है।
4. यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त वर्णित रोड में आवश्यक स्थानों पर पुल एवं पुलिया निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नही, तो क्यों ?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में एक पुल निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। सीमित बजट उपबंध रहने के कारण प्रश्नांकित पुल की स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए माननीय स0वि0स0 से प्रश्नांकित पुल के संबंध में अनुशंसा प्राप्त होने पर उसकी स्वीकृति नियमानुसार दिये जाने पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 46/2016/ग्रा0का0 1094 राँची, दिनांक : 29.2.16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–630 वि0स0 दिनांक 12.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/2/16
(आसिफ हसन)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 46/2016/ग्रा0का0 1094 राँची, दिनांक : 29.2.16

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

29/2/16
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 46/2016/ग्रा0का0 1094 राँची, दिनांक : 29.2.16

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा से प्राप्त 727
दिनांक–02.03.16 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–पेय–51 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2006 में गिरिडीह विधान सभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में 27 करोड़ रूपये राशि की शहरी जलापूर्त्ति योजना का कार्य नागार्जुन कम्पनी को आवंटित की गई थी जिसे 18 माह में कार्य पूरा करनी थी ;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित योजना की राशि अबतक 60 करोड़ रूपये होने के बावजूद उक्त क्षेत्रों के 11 वार्डों के लोग उक्त योजना के लाभ से अबतक वंचित है ;	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि योजना की (पुनरीक्षित) राशि 40.384 करोड़ है तथा गिरिडीह के शहरी क्षेत्र के सभी 30 वार्डों में नगर पर्षद द्वारा जलापूर्त्ति की जा रही है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित कम्पनी के लोग पदाधिकारियों से सांठ–गांठ कर कार्य अधूरा छोड़ अपने किये गये कार्यों का भुगतान लेकर फरार हो गये हैं जिसके कारण उक्त में पेयजलापूर्त्ति का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो रही है ;	अस्वीकारात्मक है। नागार्जुन कम्पनी को विपत्र का अंतिम भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही कम्पनी द्वारा जमा किये गये Security Deposit भी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पास जमा है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उसकी उच्च स्तरीय जाँच कराते हुए जनहित में खंड–01 में वर्णित योजना को आगामी गर्मी से पूर्व चालू कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक :–5 / न0वि0 (तारांकित)–45 / 2016 1144 / राँची, दिनांक :– 01/03/16

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–1337, दि0–22.02.16 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1.3.16
सरकार के अवर सचिव।

728

मा0, स0वि0स0, श्री रामचन्द्र सहिस द्वारा दिनांक 02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ 65 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सही है कि एम0जी0एम0 मेडिकल कॉलेज चौक डिमना से आसनवनी पटमदा रोड हलुदबनी सिधु–कान्हु चौक तक सड़क का चौड़ीकरण नहीं होने से आमजनता को आने–जाने के लिए काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा सड़क काफी घुमावदार एवं संकीर्ण होने के कारण कभी–कभी दर्दनाक दुर्घटना घटती है ;	स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि इसी सड़क से प्रतिदिन लोगों का "डिमना लेक" आना–जाना लगा रहता है तथा पटमदा काटिन होते हुए बंगाल से जोड़ती है ;	स्वीकारात्मक ।
3. क्या यह बात सही है कि "डिमना लेक" पिकनिक स्थल तथा प्राकृतिक रमणीय स्थल होने के कारण बाहर से भी लोग अक्सर घुमने आते हैं ;	स्वीकारात्मक ।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सरकार एम0जी0एम0 मेडिकल कॉलेज चौक से "डिमना लेक" होते हुए हलुदबनी सिधु–कान्हु चौक तक सड़क का चौड़ीकरण कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	उक्त सड़क की लंबाई लगभग 05 कि0मी0 है, जिसमे प्रथम 04 कि0मी0 का रखरखाव टाटा स्टील लि0 के द्वारा किया जाता है, जिसका स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–73 / 2016 1367(s) राँची / दिनांक : 29/2/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1547 दिनांक 25.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

29/02/16
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–73 / 2016 1367(s) राँची / दिनांक 29/2/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

29/02/16
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्रीमती निर्मला देवी, माननीया स.वि.स. द्वारा दिनांक–02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–भ0–07 का प्रश्नोत्तर :– 729

	प्रश्न	उत्तर
	श्रीमती निर्मला देवी, माननीया स.वि.स.	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि एन0टी0पी0सी0 के द्वारा बड़कागाँव के ग्रामीणों के विस्थापन किया जाना है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि एन0टी0पी0सी0 के द्वारा विस्थापितों के लिए आर0एण्ड आर0 कॉलोनी का निर्माण बड़कागाँव स्थित ग्राम–ढेंगा में कराया जा रहा है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि पूर्व में वर्तमान हजारीबाग के उपायुक्त श्री मुकेश कुमार तथा तत्कालीन आयुक्त श्री सुरेन्द्र सिंह मीणा के द्वारा संयुक्त रूप से ढेंगा स्थित निर्माणाधीन आर0 एण्ड आर0 कॉलोनी का जाँच किया गया था, जिसमें कम्पनी के द्वारा घटिया निर्माण सामग्री की पुष्टि हुई थी;	अस्वीकारात्मक। एन0टी0पी0सी0 द्वारा हजारीबाग जिला में विस्थापितों के लिए निर्मित की जा रही कॉलोनी की गुणवत्ता जाँच हेतु राजस्व विभागीय आदेश सं0–133/स0को0, दिनांक–05.11.15 द्वारा प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग की अध्यक्षता मे एक जाँच दल का गठन किया गया है। जाँच दल द्वारा निदेशक, गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, बी0आई0टी0मेसरा, राँची को गुणवत्ता जाँच हेतु भेजे गये नमूने पर मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक–204, दिनांक–17.02.2016 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि कॉलोनी के मकान निर्माण में प्रयोग किये जा रहे सामग्री की गुणवत्ता विशिष्टि के अनुरूप है। उपर्युक्त जाँच प्रतिवेदन पर विभागीय पत्रांक–594, दि0–18.02.2016 द्वारा प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग से मंतव्य की मांग की गयी है।
4	क्या यह बात सही है कि एन0टी0पी0सी0 कम्पनी ने एन0बी0सी0सी0 का दिया एन0बी0सी0सी0 ने कलकत्ता में मेकेनिकल भारत कम्पनी को दिया है एवं मेकेनिकल भारत राँची एवं पटना एवं अन्य छोटे–छोटे पेटी ठेकेदारों को काम सौंप दिया, जिसके कारण आर0 एण्ड आर0 कॉलोनी निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री को इस्तेमाल होने से निर्माण के पूर्व ही छतों से पानी का रिसाव हो रहा है तथा कम्पनी के द्वारा सबलेट का भी उल्लघंन किया जा रहा है;	उपायुक्त, हजारीबाग से कम्पनी के द्वारा सबलेट के उल्लघंन के मामले की जाँच करायी जायेगी।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कम्पनी के द्वारा कराए जा रहे आर0 एण्ड आर0 कॉलोनी का निर्माण कार्य रूकवाकर पुनः जाँच कर उच्च गुणवत्ता सामग्री के इस्तेमाल कर भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	लागू नहीं।

झारखण्ड सरकार,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–5/स.भू.हजा. (वि.स.तारां.)–35/2016...800.../रा., राँची, दिनांक–...01-03-16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–1105/वि.स., दिनांक– 17.02.2016 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची /सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/3/16

730

श्री निरल पुरती, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–47 का उत्तर सामग्री :–

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री निरल पुरती, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1.	क्या यह बात सही है कि पं० सिंहभूम जिला के टॉतनगर प्रखण्ड अन्तर्गत (1) तेन्तेड़ा से मुरडीह पथ (2) सासे बरूगुटू से तोरलो नदी तक पथ एवं मंझारी प्रखण्ड के (3) पांड्रासाली से झोमकोजुड़ी पथ (4) पिलका चम्बरासाई से बड़ागुल्ली उड़िसा सीमा तक पथ निर्माण कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कार्यान्वित है।	स्वीकारात्मक।
2..	क्या यह बात सही है कि उक्त चारों पथों का निर्माण कार्य अभी तक अधूरा छोड़ दिया गया है।	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त योजनाओं का कार्य एन०पी०सी०सी० द्वारा कराया जा रहा है।	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोकहित में उक्त निर्माणधीन पथों के अधूरे कार्यो को पूरा कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक? नहीं, तो क्यों।	शीघ्रताशीघ्र कार्य पूरा कराया जायगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–270 / 16 ग्रा0का0वि.....1101.....राँची / दिनांक–...29.2.16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–644, दिनांक–12.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–270 / 16 ग्रा0का0वि.....1101.....राँची / दिनांक–...29.2.16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–270 / 16 ग्रा0का0वि.....1101.....राँची / दिनांक–...29.2.16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

श्री योगेन्द्र प्रसाद, स०वि०स० द्वारा दिनांक-02/03/16 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या भ0-10 का उत्तर सामग्री

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि भवन निर्माण विभाग द्वारा बूटी रोड, राँची स्थित लोकायुक्त के आवासीय परिसर में तीन मंजिला लोकायुक्त कार्यालय भवन का निर्माण राँची नगर निगम से नक्शा पास कराये बिना कराया जा रह है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। राँची नगर निगम में पास करने हेतु नक्शा समर्पित है।
2	क्या यह बात सही है कि नगर निगम क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराये भवन का निर्माण कराया जाना अवैध है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वर्त्तमान में लोकायुक्त भवन का नक्शा पास करने हेतु नगर निगम में समर्पित है।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त कार्यालय भवन का निर्माण अति सुरक्षित रिहाईसी ईलाके में किया जा रहा है;	लोकायुक्त की सहमति से ही उनके आवासीय परिसर में लोकायुक्त के कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किस परिस्थिति में रिहाईसी इलाके में बिना नक्शा पास कराये कार्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है, इसके लिए दोषी अधिकारियों को दंडित करना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	दण्डात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार

भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांकः- भ03-विधायी-(ता0प्र0)-22/2016 - 605(भ) राँची, दिनांक- 29-2-16

प्रतिलिपि :-श्री जितेन्द्र, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-1339 दिनांक-22/02/16 के प्रसंग में उत्तर प्रतिवेदन की 200 प्रतियों (दो सौ प्रतियो) के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29.2.16

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांकः-भ03-विधायी-(ता0प्र0)-22/2016 - 605 (भ) राँची, दिनांक- 29-2-16

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग को विधान सभा स्थित कार्यालय कोषांग/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को पाँच-पाँच प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29.2.16

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, राँची ।

732

श्री राम चन्द्र सहिस, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–147 का उत्तर सामग्री :–

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री राम चन्द्र सहिस, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1.	क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर प्रखण्ड अन्तर्गत NH-33 में NPCC द्वारा निर्माणाधीन सड़क (1)–सालबनी से भालुक गाजड़ी (2)–कटिंग से गोलकाटा (3)–काशिडीह से सहिडीह, (4)–कालाझोर से सरदारडीह (5)–दलदली सिधु–कान्हु चौक से लुकुईकानाली (6)–चुड़ाकिनघोड़ा से बनामघुटु एवं (7)–बड़ागोविन्दपुर दयालसिटी से गोड़ाडीह तक आज भी अधुरा है।	स्वीकारात्मक।
2..	क्या यह बात सही है कि उल्लेखित क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य नहीं होने के कारण आम जनता को आवागमन में काफी दिक्कत होती है।	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उल्लेखित सड़को का निर्माण कार्य अविलम्ब पुरा कराना चाहती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों।	सालबनी से भालुक गाजड़ी, कटिंग से गोलकाटा, काशिडीह से सहिडीह, कालाझोर से सरदारडीह, चुड़ाकिनघोड़ा से बनामघुटु, बड़ागोविन्दपुर दयालसिटी से गोड़ाडीह चुड़ाकिनघोड़ा से बनामघुटु, कालाझोर से सरदारडीह एवं बड़ागोविन्दपुर दयालसिटी से गोड़ाडीह का कार्य पी0एम0जी0एस0वाई0 से स्वीकृत है। इन्हें शीघ्रताशीघ्र पूर्ण कराया जायेगा। दलदली सिधु–कान्हु चौक से लुकुईकानाली का कार्य सीमित बजटीय उपबंध के कारण इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत करना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–371 / 16 ग्रा0का0वि.....1121.....राँची / दिनांक–01-3-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–1541, दिनांक–25.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–371 / 16 ग्रा0का0वि.....1121.....राँची / दिनांक–01-3-16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–371 / 16 ग्रा0का0वि.....1121.....राँची / दिनांक–01-3-16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(733)

श्री केदार हाजरा, मा0स0वि0सभा0 द्वारा दिनांक– 02.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 43 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		**श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–**
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखण्ड के खरगडीहा उसरी नदी में खरगडीहा तथा मिर्जागंज में स्वच्छ पेयजल हेतु लिफ्ट जलमीनार बनकर तैयार है?	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड 'क' के योजना के तहत संवेदक एवं अभियंता के लापरवाही के कारण अब तक आम जन को पीने की पानी उपलब्ध नहीं हो पायी है?	संवेदक द्वारा योजना से संबंधित WTP, जलमीनार, पाईप लाईन, Electrical Mechanical Components का सभी कार्य पूर्ण कर लिया गया है। लाभुको द्वारा गृह जलसंयोजन नहीं लेने के कारण जलापूर्ति चालू नही किया गया है। VWSC द्वारा लगभग 100 लाभुकों का कनेक्शन हेतु तैयार किया गया है। कनेक्शन लेने पर योजना चालू हो जाएगी। पेयजल हेतु चालू चापाकलों की संख्या एंव आबादी निम्न प्रकार है:– खरगडीहा– आबादी–3968 , चापाकल–82 अद्द मिर्जागंज– आबादी–2451 चापाकल– 76 अद्द
3.	क्या यह बात सही है कि संवेदक द्वारा अब तक ग्रामीणों को घर तक पीने के पानी का पाईप लाईन नहीं बिछाई गयी है?	संवेदक द्वारा पाईप लाईन बिछा दिया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में पाईप लाईन बिछाकर चालू करना चाहती है। यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

ज्ञापांक :– 7/ता0प्र0– 01–36/2015– 1002 राँची, दिनांक :– 29/2/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 1126 दिनांक– 17.02.2016 के कम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/2/16

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता0प्र0– 01–36/2015– 1002 राँची, दिनांक :– 29/2/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/2/16

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

29/02/16

734

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची

दिनांक 02–03–2016 को श्री नारायण दास, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–परि०–13 की उत्तर सामग्रीः–

	प्रश्नकर्त्ता श्री नारायण दास माननीय स०वि०स०		*उत्तर* माननीय श्री सी० पी० सिंह मंत्री परिवहन, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि देवघर अन्तर्गत बाबा बैद्यनाथ धाम में प्रतिवर्ष विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का आयोजन किया जाता है, जिस समय लाखों श्रद्धालु पूजा–अर्जना हेतु देश विदेश से आते है;	–	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि देवघर अन्तर्गत बाबा बैद्यनाथ धाम हेतु राज्य के सभी प्रमण्डलों एवं सीमावर्ती राज्यों को बस सुविधा से जोड़ने हेतु नये आधुनिक बस का संचालन प्रारम्भ नहीं कराया जा सका है, जो कि राजस्व एवं पर्यटकीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थल है;	–	अस्वीकारात्मक है। देवघर अन्तर्गत बाबा धाम के लिए सभी प्रमण्डलों एवं सीमावर्ती राज्यों से आधुनिक बस सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार तथा राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा परमिट निर्गत किये गये है। देवघर से बिहार के विभिन्न स्थानों के लिए कुल 59 परमिट, देवघर से पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्थानों के लिए कुल 28 परमिट, देवघर से ओड़िसा के विभिन्न स्थानों के लिए कुल 6 परमिट एवं देवघर से छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों के लिए कुल 2 परमिट निर्गत किये गये है। श्रावणी माह में देवघर अन्तर्गत बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की विशेष बैठक आयोजित कर इच्छुक आवेदकों को मेला विशेष परमिट निर्गत किये जाते हैं। वर्ष 2014 में कुल 14 मेला स्पेशल परमिट निर्गत किये गये है। सरकार द्वारा यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए द्रुतगामी ए०सी० बस सेवा प्रारंभ करने का भी प्रयास किया जा रहा है।
3	क्या उक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बाबा बैद्यनाथ धाम से राज्य के सभी प्रमण्डलों एवं सीमावर्ती राज्यों को जोंड़ने हेतु आधुनिक बस सुविधा संचालित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	–	कंडिका–2 में वस्तु स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक –परि०वि०(वि०स०)–54/2016 390 **/राँची,दिनांक** 01-3-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय राँची को उनके पत्रांक–1192 दिनांक 18.02.2016 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ /उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित ।

1/3/16
सरकार के संयुक्त सचिव

16.12.2015

(735)

श्री बिरंची नारायण, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–न०–09 का उत्तरः– प्र०-02/03/16

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो एक औद्योगिक नगर है, जहाँ 2 स्टील प्लांट, 6 कोल वाशरी, करीब आधा दर्जन थर्मल पावर प्लांट एवं अनेकों छोट–बड़े कल–कारखाना स्थापित हैं और यहाँ एक भी टाउन हॉल नहीं है ;	प्रश्नगत बोकारो औद्योगिक नगरीय क्षेत्र नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीनस्थ कार्यरत चास नगर निगम के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतएव औद्योगिक नगर बोकारो में टाउन हॉल का निर्माण नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नहीं कराया जा सकता है।
2	क्या यह बात सही है कि टाउन हॉल नहीं होने से बोकारो में सरकारी व गैर सरकारी कार्यक्रम करवाने में परेशानी होती है ;	उपर्युक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बोकारो नगर में नागरिकों की सुविधा हेतु एक 2000 क्षमता वाले ए०सी० टाउन हॉल का निर्माण करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–05 / न०वि० (तारांकित)–16 / 2016.....967..... राँची, दिनांक– 22/02/16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप सं० प्र०–596 / वि०स० दिनांक–12.02.2016 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/02/16
सरकार के उप सचिव।

736

श्री हरिकृष्ण सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–02.03.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–123

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री हरिकृष्ण सिंह, माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।**
1. क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला के लातेहार प्रखण्ड के ग्राम पंचायत तरवाडीह में धरधरी नदी पर ग्राम ओरवाई एवं हरतुआ के बीच तथा बेन्दी पंचायत के जुजलू नाला पर ग्राम कोदाग टोला तिलाई टाँड़ एवं छतरीटाँड़ के बीच पुल का निर्माण नहीं हुआ है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उपर वर्णित दोनों नदी/नाला पर पुल का निर्माण नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में दोनों पंचायात के लोग जिला मुख्यालय से कट जाते है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–(1) में वर्णित दोनों पुलों के निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अुनशंसा के आलोक में एक पुल निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। सीमित बजट उपबंध रहने के कारण प्रश्नांकित पुल की स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 87/2016/ग्रा0का0 1092 राँची, दिनांक : 29-2-16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–1110 वि0स0 दिनांक 17.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/2/16
(आसिफ हसन)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 87/2016/ग्रा0का0 1092 राँची, दिनांक : 29-2-16

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

29/2/16
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 87/2016/ग्रा0का0 1092 राँची, दिनांक : 29.2.16

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

737

श्री चम्पाई सोरेन, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 02.03.16 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0– पेय– 45 का उत्तर

क्रमांक	प्रष्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरायकेला खरसावाँ जिला के प्रखंड गम्हरिया अन्तर्गत ईटागढ़ एवं डुडरा कमालपुर में ग्रामीण जलापूर्ति योजना विश्व बैंक सम्पोषित MVS के तहत वर्ष 2014–15 में स्वीकृत है।	स्वीकारात्मक है। यह योजना नीर निर्मल परियोजना अन्तर्गत प्रथम बैच में चयनित थी, परन्तु PAD में उल्लेखित प्रति व्यक्ति लागत के विरूद्ध डीपीआर में प्रति व्यक्ति लागत अधिक होने के कारण विश्व बैंक एवं भारत सरकार द्वारा Revisit करने के साथ–साथ बैच–2 में चयनित करने का प्रस्ताव दिया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित योजना का कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हुआ है जिससे उस क्षेत्र की जनता को पेयजल हेतु काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।	यह योजना बैच–2 में चयनित है। जो वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 तक प्रभावी है। योजना का Revisit कर डीपीआर तैयार कर ली गयी है, जो सी0डी0ओ0 में जाँच की प्रक्रिया में है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ईटागढ़ एवं डुडरा कमालपुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना कार्य प्रारंभ करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	वित्तीय वर्ष 2116–17 में विहित प्रक्रिया पूर्ण कर योजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः JSWSMS/WB/15/2016 (पेय0) 884 दिनांक 24/2/16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक 1124 वि0स0 दिनांक 17.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/16
उपसचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः JSWSMS/WB/15/2016 (पेय0) 884 दिनांक 24/2/16

प्रतिलिपिः अवर सचिव (प्रशाखा–5), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/16
उप सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

(738)

प्रो0 जय प्रकाश वर्मा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–94 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
प्रो0 जय प्रकाश वर्मा, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि प्रत्येक वर्ष नये संवेदक अपना पंजीयन कराते है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि एक बार निबंधन कराने के बाद प्रत्येक वर्ष निबंधन कराने की आवश्यकता नहीं है।
2. क्या यह बात सही है कि नये संवेदक राज्य के शिक्षित बेरोजगार होते है;	निबंधन के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान नहीं है।
3 क्या यह बात सही है कि इन पढ़े–लिखे संवेदकों को High Technology का ज्ञान ज्यादा होता है, परन्तु सरकारी माप दण्ड के अनुसार तीन वर्षों का अनुभव के नहीं होता है;	
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नये संवेदकों को बिना शर्त रखे ही पूर्व में काम किया है या नहीं को हटाते हुए इन्हें काम देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	वर्त्तमान में ग्रा0का0वि0 अन्तर्गत एवं अन्य विभागों में निबंधित संवेदक भी भाग लेते हैं। निविदा में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कार्य आवंटित किया जाता है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–301 / 16 ग्रा0का0वि.....1106.....राँची / दिनांक–...29.2.16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–820, दिनांक–14.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/2/16
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–301 / 16 ग्रा0का0वि.....1106.....राँची / दिनांक–...29.2.16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

29/2/16
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–301 / 16 ग्रा0का0वि.....1106.....राँची / दिनांक–...29.2.16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

29/2/16
सरकार के उप सचिव।

739

श्री नागेन्द्र महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक 02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–128 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या बात सही है पंचायती राज व्यवस्था के तहत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जनता द्वारा निर्वाचित मुखिया को सभी शक्तियाँ दी गई है ?	(1) अस्वीकारात्मक। झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 में न केवल मुखिया बल्कि उप मुखिया प्रमुख, उप प्रमुख एवं जिला परिषद अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के कृत्यों एवं शक्ति उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही उक्त अधिनियम में ग्राम पंचायत पंचायत समिति एवं जिला परिषद के कृत्यों का उल्लेख किया गया है ।
(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित मुखिया के अतिरिक्त जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं वार्ड सदस्य भी प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने गये है, जिन्हें कोई अधिकार पंचायती राज व्यवस्था के तहत नहीं सौंपे गये हैं ?	(2) उपरोक्त कंडिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गयी है।
(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड (2) में वर्णित जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं वार्ड सदस्य को अधिकारों से वंचित रखने से विकास कार्य प्रभावित होगें ?	(3) अस्वीकारात्मक। विकास कार्य हेतु ग्राम पंचायत, पंचायत समिति जिला परिषद सभी उत्तरदायी है ।
(4)यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार खण्ड (3) में वर्णित सदस्यों को पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया के तरह अधिकार प्रदान करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक नहीं, तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक। कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है ।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांकः–01 स्था0–(वि0)–80/2016–728–/, राँची, दिनांकः– 1.3.16

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 1190 दिनांक 18.02.2016 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– –01 स्था0–(वि0)–80/2016–728–/, राँची, दिनांकः– 1.3.16

प्रतिलिपिः– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, संसदीय कार्य/ माननीय मंत्री, पंचायती राज के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– –01 स्था0–(वि0)–80/2016–728–/, राँची, दिनांकः– 1.3.16

प्रतिलिपिः– उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव

740

श्री केदार हाज़रा , मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– पेय–44 का उत्तर :–

क्र०	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि –	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर –
1	क्या यह बात सही है कि ज़मुआ प्रखण्डाधीन लताकी गाँव से गुज़रने वाली उसरी नदी पर वर्ष भर पानी उपलब्ध रहता है। जिससे आस पास के 15 गाँव पेयजल हेतु नदी पर आश्रित रहती है ?	**अस्वीकरात्मक।** लताकी गांव एवं आसपास के गांव जलापूर्ति हेतु पर्याप्त मात्रा में चापाकल से जलापूर्ति की ज़ा रही है। चापाकलों की संख्या निम्न है जो कि पर्याप्त है–

क0	ग्राम का नाम	आबादी	चालू नलकूपों की संख्या
1	लताकी	5475	51
2	मलुआटांड	1231	15
3	विसुनपुर	559	12
4	पराचीडीह	978	15
5	बरमसिया	250	5
6	नवडीहा	140	3
7	नवडीहा	1210	35
8	कैरीडीह	524	8
9	गादीखुर्द	1065	8
10	सुर्यूगादी	603	8
11	गोविन्दाडीह	216	3
12	बेरोटाड	482	6
13	गोसाईडीह	228	5
14	मिर्जागंज	2393	76
15	खैराबाद	119	3
16	जगन्नाथडीह	2451	31

चपाकल राष्ट्रीय मानक से काफी ज्यादा एवं पर्याप्त है।

2	क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 में वर्णित नदी का पानी से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रही है ?	उपर्युक्त कंडिका की स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त खण्ड 1 उधृत नदी पर ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	माननीय विधायक की अनुशंसा एवं योजना की फिजिविलीटी के कम में उपलब्ध संसाधन के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :–7/ ता0 प्र0–01–26/2015 1001 दिनांक :– 29/2/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–1123 दिनांक–17.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/2/16

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 7/ ता0 प्र0–01–26/2015 1001 दिनांक :– 29/2/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, प्रशाखा–05, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/2/16

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

(742)

श्री रामकुमार पाहन , मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक–02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– पेय–22 का उत्तर :–

<table>
<tr><th>क्र०</th><th>क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि –</th><th>श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर –</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत अनगडा प्रखण्ड स्थित साल्हन, बेडवारी, तुरूप, हेसल, चिलदाग, लुपूँग, हाहे, गोन्दली पोखर इत्यादि गाँवों का वर्ष 2015 में पेयजल व्यवस्था हेतु सर्वे कराया गया है।</td><td>यह प्रखण्ड मुख्यालय पंचायत है।
वस्तुस्थिति यह है कि माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के आलोक में अनगडा प्रखण्ड मुख्यालय एवं सन्निकट ग्रामों को पाईप जलापूर्ति से आच्छादन हेतु विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ किया गया है। इसके लिये योजना का DPR का निर्माण किया जा रहा है। DPR बनने के उपरांत योजना की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन की कार्रवाई की जाएगी।
इस योजना से प्रखण्ड मुख्यालय सहित साल्हन, बेडवारी, गोन्दली, पोखर, तुरूप,हेसल, चिलदाग लापूंग एवं हाहे ग्रामों की कुल 17,683 आबादी लाभान्वित होगी।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि गर्मी के मौसम में उक्त गाँवों के लोगों को घोर पेयजल संकट से जुझना पडता है</td><td>अनगडा प्रखण्ड मुख्यालय स्थित गाँव की जनसंख्या एवं नलकूपों की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है:–
<table>
<tr><th>पंचायत</th><th>ग्राम</th><th>जनसंख्या</th><th>चालू नलकूपों की संख्या</th></tr>
<tr><td>साल्हन</td><td>साल्हन</td><td>1902</td><td>15</td></tr>
<tr><td>साल्हन</td><td>बेडवारी (गोन्दली पोखर)</td><td>2327</td><td>32</td></tr>
<tr><td>साल्हन</td><td>तुरूप</td><td>1967</td><td>18</td></tr>
<tr><td>हेसल</td><td>हेसल</td><td>5207</td><td>49</td></tr>
<tr><td>चिलदाग</td><td>चिलदाग</td><td>3634</td><td>44</td></tr>
<tr><td>लूपूंग</td><td>लूपूंग</td><td>1931</td><td>18</td></tr>
<tr><td>लूपूंग</td><td>हाहे</td><td>715</td><td>16</td></tr>
</table>
उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि क्षेत्र में वर्तमान में पेयजल की समस्या नहीं है। राष्ट्रीय मानक से काफी अधिक एवं पर्याप्त है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त गाँवों में पेयजल की शीघ्र व्यवस्था कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?</td><td>उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :–7/ ता0 प्र0–01–26/2015 998 दिनांक :– 29/2/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०-784 दिनांक–14.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/2/16

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 7/ ता0 प्र0–01–26/2015 998 दिनांक :– 29/2/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, प्रशाखा–05, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/2/16

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

243

श्रीमति विमला प्रधान, माननीय स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या न० -34 उत्तर 2/2/16

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि आई ० टी० डी० पी० द्वारा राजधानी के ट्रैफिक की सर्वे रिपोर्ट विभाग को सौंप दी है और रिपोर्ट में संस्था ने दावा किया है कि रांची शहर में मोनोरेल की अपेक्षा बस का परिचालन बेहतर होगा, बस का परिचालन मोनोरेल से काफी किफायती होगा ?	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि आई ० टी० डी० पी० विभाग द्वारा नियुक्त परामर्शी नहीं है। आई ० टी० डी० पी० से किसी प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त नहीं है। विभागीय संकल्प संख्या 1074, दिनांक-21.03.2015 के द्वारा परामर्शी आई० डी० एफ० सी० का चयन मोनोरेल परियोजना हेतु किया गया है। 1. परामर्शी आई० डी० एफ० सी० के द्वारा रांची शहर के लिए "Technology Options Assessment Study" किया गया है जिसमें Metro system, Light Rail System, Bus Rapid System, Monorail and Personal Rapid system का विस्तृत अध्ययन विभिन्न तकनीकी मानकों पर किया गया है एवं रांची शहर के लिए मोनोरेल को सर्वाधिक उपयुक्त बताया गया है। मोनोरेल की स्थापना एवं परिचालन पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 9-10-2015 को सैध्यान्तिक सहमति प्रदान की गई है।
02	क्या यह बात सही है कि रांची शहर में 16 कि०मी० मोनोरेल में लगभग 12880 करोड़ खर्च का आंकलन किया गया है वहीं 800 बसों के परिचालन पर लगभग 1700 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है ?	अस्वीकारात्मक है। रांची शहर में 16 कि०मी० मोनोरेल में लगभग 2949 करोड़ रुपए खर्च का आंकलन किया गया है जिसमें मोनोरेल के अलाइन्मेंट हेतु आवश्यक भूमि की लागत, civil कार्य तथा मोनोरेल सिस्टम का क्रय शामिल है ।
03	क्या यह बात सही है कि पूरी राजधानी में मोनोरेल पर दस हजार करोड़ से अधिक लागत आएगी ?	अस्वीकारात्मक है। वर्तमान में मोनोरेल परिचालन हेतु दो अलाइन्मेंट का चयन किया गया है जिसमें से एक अलाइन्मेंट पर विस्तृत परियोजना तैयार की जा रही है। उक्त अलाइन्मेंट सी ० आर० पी० एफ, मुख्यालय, धुर्वा, रांची से कचहरी चौक, रांची तक 16.5 कि०मी० लम्बी है जिसकी लागत राशि 181 करोड़ रुपए/कि०मी० के दर से कुल लागत राशि 2949 करोड़ रुपए का आकलन किया गया है।।
04	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राजधानी में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम स्वीकृत करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका 1 से 3 के आलोक में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:- 5/वि०स० (तारांकित)-30/2016.....972.....रांची,दिनांक...22/02/16

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप० सं०-प्र० 1131 दिनांक 17.02.2016 के आलोक में

श्री सुखदेव भगत, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक–02.03.2016 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–न०–33 का उत्तर सामग्रीः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2000 में राज्य गठन के बाद झारखण्ड आवास बोर्ड का गठन किया गया था परन्तु विभाग आज तक एक भी आवास का निर्माण नहीं कर सका;	अस्वीकारात्मक है। वर्ष 2000 में राज्य गठन के बाद झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के राँची/जमशेदपुर एवं धनबाद प्रमंडल में नये आवासों/दुकानों का निर्माण किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि आवास बोर्ड की जमीन पर बहुमंजिली इमारतों को व्यावसायिक और आवासीय परिसर के रूप में विकसित करने की कुल 24 योजनाओं में से मात्र 4 भूखंडों पर ही आज तक काम शुरू किया जा सका है;	वर्ष 2008 में आवासीय/व्यवसायिक परिसर का निर्माण हेतु 24 भूखण्ड आवंटित किया गया था। जिसमे से भूखण्ड सं0–09 हरमू राँची, भूखण्ड सं0–03 आदित्यपुर जमशेदपुर एवं भूखण्ड सं0–02 आदित्यपुर, जमशेदपुर में आवासीय परिसर का निर्माण कराया गया है। सचिव आवास विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक 256 दिनांक 28.07.2011 के आलोक में शेष 21 भूखण्डों का आवंटन/एकरारनामा रद्द किया गया। बिल्डर द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में वाद दायर किया था, जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है तथा भूखण्ड सं0–9 राँची एवं भूखण्ड सं0–03 दो मामलों में जिसमें निर्माण पूर्ण हो चुका है, को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित कर कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया, जिसके आलोक में भूखण्ड सं0–09 (राँची) एवं भूखण्ड सं0–03 जमशेदपुर पर किये गये निर्माण पर मुख्य सचिव के अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा की जा रही है, जबकि भूखण्ड सं0 02 जमशेदपुर का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। शेष सभी 21 भूखण्ड बोर्ड के कब्जे में है।
3	यदि उपर्युक्त प्रश्नखण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आवास एवं व्यवसाय की सभी योजनाओं को पूरा कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	शेष 21 भूखण्डों पर आवासीय/व्यवसायिक परिसर का निर्माण कार्य बोर्ड द्वारा नियमानुसार करने पर विचार किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–07/वि०स०/आ०–03/2016.......1072............ राँची, दिनांक– 26/02/16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप सं० प्र०–949/वि०स० दिनांक–16.02.2016 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.2.2016

सरकार के अवर सचिव।

745

माननीया विधायक श्रीमती गीता कोड़ा, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय0–42 का उत्तर

क्र0	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाला उत्तरः–
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिम सिंहभूम जिला अन्तर्गत जगन्नाथपुर, नोवामुण्डी, टोन्टो, गोईलकेरा एवं मनोहरपुर प्रखण्डों में 7379 स्वीकृत में 1155 चापाकल खराब पड़े हुए है;	पश्चिम सिंहभूम जिला अन्तर्गत जगन्नाथपुर, नोवामुण्डी, टोन्टो, गोईलकेरा एवं मनोहरपुर प्रखण्डों में कुल चालू 5819 अदद चापाकल है। कुल आबादी 436581 को पेयजल आपूर्ति के लिए पर्याप्त है। 75 आबादी प्रति चापाकल कार्यरत है, जो राष्ट्रीय मानक के दो गुणा है एवं पर्याप्त है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंडों में खराब चापाकलों को विभाग द्वारा मरम्मति कराने का प्रावधान है;	वस्तुस्थिति यह है कि चापाकल की साधारण मरम्मति एवं अन्य सतत चलता रहता है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में निम्न प्रकार कार्य किया गया है। (1) सड़े राईजर पाईप बदलकर चालू किये गये चापाकल–243 (2) विशेष मरम्मति के कारण बन्द चापाकल–17
3	क्या यह बात सही है कि खराब पड़े चापाकलों के स्थान पर नया बोरिंग करने का प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2013–14 में विभाग को दिया गया है;	स्थापित नियम एवं प्रकिया के अनुरूप चापाकल का पुर्नस्थापन करने का निर्देश निर्गत है। आपदा प्रबन्धन अन्तर्गत 409 अदद विशेष मरम्मति के कारण बन्द चापाकलों के स्थान पर नया बोरिग कर चापाकल लगाने एवं 881 अदद नलकूपों के सड़े राईजर पाईप बदलकर चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खराब पड़े 1155 चापाकल मरम्मति या नया बोरिंग करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	निविदा प्राप्त कर निर्धारित समय सीमा में चापाकल चालू करा दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः 8/वि0स0(ता0)–16/2016 – 396/SWSM दिनांक 27-2-16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक 1128 वि0स0 दिनांक 17.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

KMH 27/2/16

अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः 8/वि0स0(ता0)–16/2016 – 396/JWSM दिनांक 27-2-16

प्रतिलिपिः अवर सचिव (प्रशाखा–5), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

KMH 27/2/16

अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

746

श्री जानकी प्रसाद यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–02.03.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–78

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री जानकी प्रसाद यादव, माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।**
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के चलकुशा प्रखण्ड में बराकर नदी अवस्थित है जो हजारीबाग एवं कोडरमा दो जिलों को जोड़ती है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त नदी पर सेवाटांड में परसाबाद कुटिया के बीच पुल नहीं होने के कारण आम लोगों को काफी कठिनाईयाँ हो रही है ;	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित खण्ड–2 पर पुल के निर्माण का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में एक पुल निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। सीमित बजट उपबंध रहने के कारण प्रश्नांकित पुल की स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 69 / 2016 / ग्रा0का0 1090 राँची, दिनांक : 29.2.16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–796 वि0स0 दिनांक 14.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/2/16

(आसिफ हसन)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 69 / 2016 / ग्रा0का0 1090 राँची, दिनांक : 29.2.16

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

29/2/16

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 69 / 2016 / ग्रा0का0 1090 राँची, दिनांक : 29.2.16

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

माननीय विधायक श्री फूलचन्द मंडल, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय0–24 का उत्तर

क्र0	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाला उत्तरः–
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला अन्तर्गत बलियापुर प्रखण्ड के घड़बड़ ग्राम में अवस्थित नलकूपों में जल जॉच के उपरान्त फ्लोराईड की मात्रा अनुमान्य सीमा (1.5 ppm) से अधिक पाया गया है?	वस्तुस्थिति यह है कि बलियापुर प्रखण्ड के घड़बड़ पंचायत के घड़बड़ ग्राम में स्थित कुल 30 अदद नलकूपों की जल गुणवत्ता की जॉच राज्य स्तरीय प्रयोगशाला, रॉची में की गयी, जिसमें 22 अदद नलकूपों में फ्लोराईड की मात्रा अनुमान्य सीमा (1.5 ppm) से अधिक पायी गयी है। शेष 8 अदद नलकूप ग्रामीण के उपयोग हेतु उपयुक्त है। घड़बड़ ग्राम की आबादी 2171 है। निविदा निष्पादन की प्रकिया अंतिम चरण में है। वर्तमान में Pilot Project के तहत दो अदद फ्लोराईड रिमोभल एटैचमेंट लगाने हेतु M/s Ion Exchange India Pvt. Ltd. को इस कार्यालय के पत्रांक–08/ध्यानाकर्षण/02/15–05/SWSM दिनांक–09.01.2016 द्वारा दिया जा चुका है। पाईलट प्रोजेक्ट के फलाफल के बाद शेष कार्य प्राथमिकता पर किया जायेगा।
2	क्या यह बात सही है कि घड़बड़ ग्राम के ग्रामीणों द्वारा फ्लोराईड युक्त जल के सेवन से शारीरिक विकलांगता सहित अन्य गंभीर बिमारियाँ उत्पन्न हो रही है?	अस्वीकारात्मक, अनुमान्य सीमा से अधिक फ्लोराईड पाए गए नलकूपों को लाल रंग से रंगाकर इसे "पेयजल योग्य नहीं है" लिखवा दिया गया है। शेष बचे नलकूपों उपयोग पेयजल हेतु ग्रामीणों द्वारा किया जाता है।
3	यदि उपरोक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त गाँव के ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मुहैया करवाने हेतु पाईप लाईन द्वारा जलापूर्ति सुनिश्चित करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	फ्लोराईड प्रभावित ग्रामों में पाईप लाईन द्वारा शुद्ध पेयजलापूर्ति का प्रावधान बलियापुर मेगा ग्रामीण जलापूर्ति योजना में है। जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक–28 (स्वी0) दिनांक–22.08.2015 द्वारा निर्गत है एवं आमंत्रित निविदा, निष्पादन कर दिया गया है। कार्य इसी वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः 8/वि0स0(ता0)–09/2016 (पेय0) – 394/SWSM दिनांक 27-2-2016

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक 775 वि0स0 दिनांक 14.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

KMH 27/2/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः 8/वि0स0(ता0)–09/2016 (पेय0) – 394/SWSM दिनांक 27-2-2016

प्रतिलिपिः अवर सचिव (प्रशाखा–5), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

KMH 27/2/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

NRDWP, Mukesh

748

दिनांक–02.03.2016 को श्री बिरंची नारायण, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा सदन में उठाये जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–34

तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो विधान सभा क्षेत्र स्थित पिण्ड्राजोड़ा एवं माराफारी घनी आबादी में बसा क्षेत्र है;	बोकारो जिलान्तर्गत पिण्ड्राजोड़ा एवं माराफारी पंचायत में कुल जनसंख्या क्रमशः 62092 एवं 75017 है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित को देखते हुए बोकारो विधान सभा क्षेत्र स्थित पिण्ड्राजोड़ा एवं माराफारी को प्रखण्ड बनाने का विचार रखती है; यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक उपायुक्त, बोकारो द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पिण्ड्राजोड़ा एवं माराफारी क्षेत्रों में पंचायतों की संख्या क्रमशः 12 एवं 17 है। आबादी एवं पंचायतों की संख्या, दोनो दृष्टिकोणों से वर्णित क्षेत्र प्रखण्ड सृजन/गठन हेतु सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड/प्रक्रिया की अहर्त्ता पूर्ण नहीं करता है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक–1–वि0स0–07 (बी0)/2016/ग्रा0वि0 1220 राँची, दिनांक–01/03/16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झा0 वि0 स0 सचिवालय को उनके ज्ञाप–647 दिनांक–12.02.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/3/16

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1–वि0स0–07 (बी0)/2016/ग्रा0वि0 1220 राँची, दिनांक–01/03/16

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

1/3/16

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1–वि0स0–07 (बी0)/2016/ग्रा0वि0 1220 राँची, दिनांक–01/03/16

प्रतिलिपि :– विभागीय प्रशाखा–4 को उत्तर सामग्री की 200 प्रतियाँ विधान सभा सचिवालय झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ।

1/3/16

सरकार के अवर सचिव।

749

श्रीमती सीता सोरेन माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–149 का उत्तर सामग्री :–

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्रीमती सीता सोरेन, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिले के जामा प्रखण्ड के अन्तर्गत जामा गाँव से शिवनगर जाने वाली REO रोड़ में शिवनगर के पास पुल का निर्माण किया गया है।	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि जामा प्रखण्ड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्यारहवें फेज के पैकेज संख्या JH-WB-RP-0528 मकरो मोड़ से जामा पथ में शिवनगर के पास पुल नहीं वरन् हयूम पाईप पूलिया (Hume pipe culvert) का निर्माण कराया गया है।
2..	क्या यह बात सही है कि निर्माण के कुछ ही दिनों बाद यह पुल घटिया सामग्री के कारण बीचो–बीच टुट गया है।	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि भारी वाहनों के आवागमन के कारण हयूम पाईप पुलिया के उपर क्यूशनिंग (Cushioning) हेतु प्रयुक्त पी०सी०सी० ढलाई आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोषी अभियंता, संवेदक और अन्य संबंधित पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कबतक, नही तो क्यों।	अभी यह Routine Maintenance के अन्तर्गत है। क्षतिग्रस्त P.C.C अविलंब ठीक करा लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–93 / 16 ग्रा0का0वि.....1126.....राँची / दिनांक–01-3-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–1542, दिनांक–25.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–93 / 16 ग्रा0का0वि.....1126.....राँची / दिनांक–01-3-16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–93 / 16 ग्रा0का0वि.....1126.....राँची / दिनांक–01-3-16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(750)

मा0, स0वि0स0, श्री कुणाल षाडंगी द्वारा दिनांक 02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ 13 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि चाकुलिया में मुम्बई हावड़ा रेल मार्ग के उपर चाकुलिया माटियाना पथ पर रोड ओभर ब्रिज (ROB) के निर्माण की स्वीकृति करीब 2 वर्ष पहले होने के बावजूद आज तक इसका निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है ;	स्वीकारात्मक ।
2. यदि उक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अपना अंशदान कर चालू वित्तीय वर्ष में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	रेलवे एवं राज्य सरकार के बीच 50:50 Cost Sharing के आधार पर चकुलिया–मटिहानी पथ पर रोड ओभर ब्रिज (ROB) का निर्माण कार्य स्वीकृत है । रेलवे द्वारा इस रोड ओभर ब्रिज (ROB) (एप्रोच सहित) का पूर्ण रूप से निर्माण किया जाना है । राज्य सरकार द्वारा विषयगत् रोड ओभर ब्रिज (ROB) का संयुक्त नक्शा रेलवे को स्वीकृत हेतु भेजा गया है । स्वीकृति के बाद रेलवे से प्राक्कलन प्राप्त होने पर कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–36 / 2016 1356 (S) राँची / दिनांक : 29/2/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 600 दिनांक 12.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

29/02/16
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–36 / 2016 1357 (S) राँची / दिनांक : 29/2/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

29/02/16
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

(751)

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची

दिनांक 02–03–2016 को श्री आलमगीर आलम, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–परि०–12 की उत्तर सामग्रीः–

	प्रश्नकर्त्ता **श्री आलमगीर आलम** **माननीय स०वि०स०**		*उत्तर* **माननीय श्री सी० पी० सिंह** **मंत्री परिवहन, झारखण्ड सरकार**
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष–2010 से भारी वाहन चालकों के लाईसेंस (हैवी गुडस् व्हीकल) निर्गत नहीं हो रहे हैं जबकि भारी वाहनों का रजिस्ट्रेशन जारी है;	–	अस्वीकारात्मक है। भारी वाहन चालकों से लाईसेंस निर्गमन हेतु आवश्यक सभी कागजात प्राप्त कर व अहर्त्ता सुनिश्चित करने के पश्चात विधिवत् लाईसेंस निर्गत किये जा रहे है।
2	यदि उपर्युक्त प्रश्नखण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित कोटी में चालकों के कमी को देखते हुए हैवी गुडस् व्हीकल के लाईसेंस चालकों को निर्गत करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	–	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह०/–
संयुक्त सचिव
परिवहन विभाग

ज्ञापांक –परि०वि०(वि०स०)–52/2016 391 **/राँची,दिनांक** 01-3-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय राँची को उनके पत्रांक–1106 दिनांक 17.02.2016 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ /उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित ।

1/3/16
संयुक्त सचिव
परिवहन विभाग

752

मा0, स0वि0स0, श्री राज कुमार यादव द्वारा दिनांक 02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ 61 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सही है कि बरही से हजारीबाग तक फोरलेन पथ का निर्माण योजना की मंजूरी दी गयी है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि जी0टी0 रोड का निर्माण 6–लेन पथ योजना के तहत् किया जा रहा है ;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के बगोदर से हजारीबाग तक 4–लेन पथ का निर्माण नहीं किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सरकार गिरिडीह जिला के बगोदर से हजारीबाग तक 4–लेन पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	एन0एच0–100(बगोदर – हजारीबाग–सिमरिया–चतरा) के 4–लेन का डी0पी0आर0 निर्माण प्रक्रियान्तर्गत है। डी0पी0आर0 निर्माण के पश्चात् इसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–70 / 2016 1364(5) राँची / दिनांक : 29/2/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1544 दिनांक 25.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

पी॰ मुर्मू
29/02/16
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–70 / 2016 1364(5) राँची / दिनांक 29/2/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

पी॰ मुर्मू
29/02/16
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री नलिन सोरेन, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक–02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– पेय–37 का उत्तर :– 453

क०	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि –	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर –
1	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला के प्रखंड रानेश्वर अंतर्गत पंचायत तालडंगाल,मोहलबन्ना, हरिपुर आदिवासी बहुल क्षेत्र है ?	**स्वीकरात्मक** **वस्तु स्थिति यह है कि दुमका जिला के प्रखण्ड रानेश्वर के:–** **1.तालडंगाल** पंचायत की कुल आबादी 4723 है। 179 अनुसूचित जाति तथा 4170 अनुसूचित जनजाति की आबादी है। इस क्षेत्र में सतही जल श्रोत उपलब्ध नही है तथा इस क्षेत्र का औसत जल स्तर 19–21 मी0 है। उक्त पंचायत में जलापूर्ति हेतु वर्त्तमान में कुल 72 अदद् नलकूप चालू स्थिति में है। पंचायत नलकूप से पूर्णतः आच्छादित है। प्रति 65 व्यक्ति एक चापाकल है जो राष्ट्रीय मानक के दो गुना से ज्यादा है। यह पर्याप्त है। **2. मोहुलबना** पंचायत की कुल आबादी 5574 में से 151 अनुसूचित जाति तथा 3853 अनुसूचित जनजाति की है। इस क्षेत्र में भी सतही जल श्रोत उपलब्ध नही है तथा इस क्षेत्र का औसत जल स्तर 18–22 मी0 है। उक्त पंचायत में जलापूर्ति हेतु वर्त्तमान में कुल 91 अदद् नलकूप चालू स्थिति में है। इसके अतिरिक्त पंचायत के मोहुलबना ग्राम में एक अदद् लधु ग्रामीण जलापूर्ति योजना NRDWP के अंतर्गत निर्माणाधीन है, जिसके चालू हो जाने के उपरांत 651 अदद् आबादी लाभांवित होगी। पंचायत नलकूप से पूर्णतः आच्छादित है। प्रति 61 व्यक्ति पर एक चापाकल है जो राष्ट्रीय औसत के लगभग ढाई गुना से अधिक एवं पर्याप्त है। 3. **हरिपुर** पंचायत की कुल आबादी 6253 में से 674 अनुसूचित जाति तथा 2809 अनुसूचित जनजाति की है। इस क्षेत्र में भी सतही जल श्रोत उपलब्ध नही है तथा वर्त्तमान में इस क्षेत्र का औसत जल स्तर 12 मी0 है। उक्त पंचायत में जलापूर्ति हेतु वर्त्तमान में कुल 141 अदद् नलकूप चालू है। पंचायत नलकूप से आच्छादित है। प्रति 44 व्यक्ति एक चापाकल है जो राष्ट्रीय औसत का लगभग चार गुना अधिक एवं पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त पंचायत के हरिपुर ग्राम में एक अदद् लधु ग्रामीण जलापूर्ति योजना NRDWP के अंतर्गत निर्माणाधीन है। जिसके चालू हो जाने के उपरांत 865 अदद् लाभांवित होगी। उक्त से पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता स्पष्ट है।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पंचायतों के 25.30 गांव/टोले के ग्रामीणों के गर्मी के दिनों में जलस्तर कम होने के कारण पीने के पानी के लिए काफी तकलीफ उठाना पड़ता है ?	**अस्वीकरात्मक ।** कंडिका 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
3	यदि उपरोक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रखंड रानेश्वर के उक्त पंचायतों के ग्रामीणों को पानी की समस्या से निजात के लिए ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत पीने का पानी मुहैया कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों?	कंडिका 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :–7/ ता0 प्र0–01–33/2015 999 दिनांक :– 29/2/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–916 दिनांक–16.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/2/16
(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 7/ ता0 प्र0–01–33/2015 999 दिनांक :– 29/2/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, प्रशाखा–05, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/2/16
(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव
29/02/16

(754)

श्री विदेश सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–02.03.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–68

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री विदेश सिंह, माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।**
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के अंतर्गत तरहसी प्रखण्ड के गोईन्दी मेन रोड में दोनों तरह से पथ का निर्माण हो चुका है लेकिन सतबहनी नदी पर पुल न रहने के कारण आम ग्रामीणों को यातायात में काफी कठिनाईयाँ उत्पन्न हो रही है ;	स्वीकारात्मक है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित पथ में पुलिया निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में माननीय स0 वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में एक पुल निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। सीमित बजट उपबंध रहने के कारण प्रश्नांकित पुल की स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 51/2016/ग्रा0का0 1083 राँची, दिनांक : 29-2-16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–638 वि0स0 दिनांक 12.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आसिफ हसन)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 51/2016/ग्रा0का0 1083 राँची, दिनांक : 29-2-16

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 51/2016/ग्रा0का0 1083 राँची, दिनांक : 29-2-16

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

(755)

श्री डॉ0 इरफान अंसारी, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा से प्राप्त दिनांक–02.03.16 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–न0–18 की उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा स्थित जे0बी0सी0+2 हाई स्कूल खेल मैदान के अंश पर नगर भवन स्थापित है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है। विधायक निधि से निर्मित सामुदायिक भवन जे0बी0सी0+2 विद्यालय खेल मैदान के अंश रकबा पर अवस्थित है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त नगर भवन जामताड़ा, नगर पंचायत जामताड़ा के कब्जे में है ;	वस्तुस्थिति यह है कि उक्त सामुदायिक भवन को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी जामताड़ा के पत्रांक–1036 दिनांक–02.12.2002 के द्वारा जनहित में उपयोग किये जाने हेतु अधिसूचित क्षेत्र समिति, जामताड़ा (सम्प्रति नगर पंचायत) को विधिवत् हस्तानांतरित है।
3.	क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के एक आदेश अनुसार उक्त भवन का उपयोग शैक्षणिक कार्य के अलावे अन्य किसी कार्य के उपयोग में नहीं लाया जा सकता है ;	माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा C.W.J.C No-2079/1999 Basuki Prasad Singh Vrs. The State of Bihar & ors. मामले में दिनांक–11.09.2000 को पारित आदेश में निम्न न्याय निर्णय दिया गया है:– Para-2 "The Hall Constructed will not be only used for the public purpose, rather preference will be given to the school for the purpose of holding examination, Seminars, Cultural & other educational Functions, as the old hall of the school become dangerous for such purpose, " Para-4 "The constructed hall Shall be used mainly for the school purpose, as has been stated in the Counter affidavit and the authority will see that it is not used in any manner to affect the education of the children reading in the school."
4.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त भवन नगर पंचायत के कब्जे में मुक्त कर विद्यालय प्रबंधन को सौंपने का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश में ऐसा उल्लेखित नहीं है कि विषयगत भवन को नगर पंचायत से मुक्त कर विद्यालय प्रबंधन को सौंपा जाय। अतः उक्त न्यायादेश के आलोक में विषयांकित सामुदायिक भवन को विद्यालय प्रबंधन को सौंपने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक :–8 / तारां0 / 104 / 2016 न०वि० 1098 / ,राँची, दिनांक :– 29/02/16

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–787, दि0–14.02.16 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/02/16
सरकार के उप सचिव।

786

मा0, स0वि0स0, श्री अरूप चटर्जी द्वारा दिनांक 02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ 47 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सच है कि राज्य भर में धनबाद शहर एक अत्यंत ही जन घनत्व बहुल शहरी क्षेत्र है, जिसमें शहरी क्षेत्रों का विस्तार तो हुआ परन्तु समुचित रूप से पथों का विस्तार नहीं हो पाया है;	क्षेत्र सर्वेक्षण प्रमण्डल, पथ निर्माण विभाग के द्वारा फ्लाई ओवर के निर्माण हेतु सर्वे में इसे संभव (Feasible) नहीं पाया गया । NH-32 के बैंक मोड़ से श्रमिक चौक के बीच पूर्व स्थित संर्कीण आर0यू0बी0 के बगल में एक अतिरिक्त आर0यू0बी0 के निर्माण का प्रस्ताव है। इसके निर्माण से आवागमन में सुगमता होगी।
2. क्या यह बात सत्य है कि पथों की संकीर्णता तथा आबादी की बहुलता के कारण यहाँ के जन–जीवन आवागमन के दृष्टिकोण से प्रत्येक दिन पूर्णतः प्रभावित रहता है ;	
3. क्या यह बात सत्य है कि धनबाद शहर में शहीद रणधीर वर्मा चौक से बैंक मोड़ तक एक 'फ्लाई ओवर' के निर्माण से इस समस्या का समाधान हो सकता है ;	अतिरिक्त आर0यू0बी0 के निर्माण का डी0पी0आर0 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को विभागीय पत्रांक 1230 (S) WE दिनांक 23.02.2016 के द्वारा वर्ष 2015–16 में ही स्वीकृति देने हेतु भेजा गया है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–3 में उल्लिखित फ्लाई ओवर के निर्माण की मंशा रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–48 / 2016 1368(s) राँची / दिनांक : 29/2/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 920 दिनांक 16.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/2/16

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–48 / 2016 1368(5) राँची / दिनांक : 29/2/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

पी॰ मुर्मू
29/04/16

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

757

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची

दिनांक 02–03–2016 को श्री कुणाल षडंगी, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–परि०–05 की उत्तर सामग्रीः–

	प्रश्नकर्त्ता **श्री कुणाल षडंगी** **माननीय स०वि०स०**		*उत्तर* **माननीय श्री सी० पी० सिंह** **मंत्री परिवहन, झारखण्ड सरकार**
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखण्ड को रेलमार्ग से जोड़ने के लिए तथा झारखण्ड में औद्योगिक एवं खनिज क्षत्रों की धामरा, पारादीप एवं विशाखापतनम बंदरगाह की दूरी घटाने के लिए चाकुलिया–बुड़ामारा (50 कि०मी०) नई रेलवे लाईन के निर्माण की स्वीकृति वर्ष–2009 में तत्कालीन रेल मंत्री एवं रेलवे बोर्ड द्वारा दी गई है, लेकिन अभी तक इसके निर्माण के लिए आवश्यक राशि मुहैया नहीं करने के कारण इसका निर्माण कार्य नहीं हो पाया है;	–	उत्तर– अस्वीकारात्मक है। राज्य सरकार एवं रेल मंत्रालय के बीच चाकुलिया–बुड़ामारा (50 कि०मी०) नई रेलवे परियोजना के निर्माण हेतु कोई एकरारनामा नहीं हुई है।
2	क्या राज्य सरकार उपर्युक्त रेलवे लाईन के निर्माण के लिए अपना अंशदान देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कब तक, नही तो क्यों ?	–	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक –परि०वि०(वि०स०)–44 / 2016 395 **/ राँची,दिनांक** 01-3-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय राँची को उनके पत्रांक–597 दिनांक 12.02.2016 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ /उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित ।

1/3/16
सरकार के संयुक्त सचिव

16.12.2015

758

श्री शिवशंकर उराँव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2016 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–138 का उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार ने देश के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतीराज व्यवस्था के विस्तार हेतु संविधान का 73 वाँ संशोधन के तहत् पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तारित अधिनियम, 1996 बनाया है;	स्वीकारात्मक ।
(2) क्या यह बात सही है कि उक्त केन्द्रीय कानून–पेसा झारखण्ड के अनुसूचित क्षेत्रों में वर्ष 1997 से ही लागू है;	स्वीकारात्मक।
(3) क्या यह बात सही है कि राज्य विधान मंडल को उक्त कानून की धारा–4(m)(ii) के प्रावधान के तहत् गौण वनोपज पर स्वामित्व (संग्रहण, विपणन, अनुज्ञप्ति देने आदि का अधिकार) समुचित स्तर पर पंचायतों एवं ग्राम सभा को प्रदान करने का निर्देश दिया गया है;	स्वीकारात्मक।
(4) क्या यह बात सही है कि केन्दू पत्ता भी गौण वनोपज की श्रेणी में शामिल है;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य सरकार के किसी वन अधिनियम/नियम के तहत् अलग से गौण वनोपज की श्रेणी में केन्दू पत्ता परिभाषित नहीं है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अधीन केन्दू पत्ता को गौण वन पदार्थ के रूप में परिभाषित किया गया है।
(5) क्या यह बात सही है कि केन्दू पत्ता का संग्रहण एवं विपणन का कार्य वन विभाग के द्वारा किया जाता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य केन्दू पत्ता नीति, 2015 अधिसूचित की जा चुकी है। इस नीति के प्रावधानों के अधीन 2500 मानक बोरा या अधिक केन्दू पत्ती संग्रहण हेतु एक प्राथमिक संग्रहाकों की केन्दू पत्ती संग्राहक समिति का गठन किया जा रहा है। इन समितियों का कार्य क्षेत्र एक या एक से अधिक पंचायत का क्षेत्र होगा। प्राथमिक संग्रहणकर्त्ताओं को केन्दू पत्ती क्रय मूल्य का भुगतान इन समितियों द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार पत्ता संग्रहण का कार्य इन समितियों द्वारा किया जाएगा।

(6) यदि उपर्युक्त सभी खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या राज्य सरकार केन्द्रीय कानून के आलोक में समुचित स्तर पर पंचायतों अथवा ग्राम सभाओं को अधिकार देना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य केन्दू पत्ता नीति, 2015 का उद्देश्य केन्दू पत्ता संग्रहण समितियों का (पंचायत को लघुतम इकाई मानते हुए) गठन कर केन्दू पत्ती का संग्रहण इन समितियों के माध्यम से कराना है। इसका उद्देश्य पंचायत एवं ग्राम स्तर पर केन्दू पत्ती संग्रहणकर्त्ताओं को संगठित कर उनके हितों की रक्षा करना है। विपणन से प्राप्त राशि का अधिक से अधिक लाभांश संग्राहकों को एवं केन्दू पत्ता समितियों को अंतरण के रूप में उपलब्ध कराये जाने एवं केन्दू पत्ता व्यापार को पारदर्शी एवं लोकोन्मुख बनाना इसके उद्देश्य में शामिल है। अतः झारखण्ड राज्य केन्दू पत्ता नीति, 2015 पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तारित अधिनियम, 1996 की मूल भावना के अनुरूप है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा तारांकित प्रश्न –45/2016– 1201 व0प0, राँची, दि०– 1/03/16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–1524 दिनांक–25.02.2016 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

1/3/16

(दिनेश प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–5/विधानसभा तारांकित प्रश्न –45/2016– 1201 व0प0, राँची, दि०– 1/03/16

प्रतिलिपि–संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) झारखण्ड, राँची उनके पत्रांक–699 दिनांक–26.02.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

1/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव

759

मा0, स0वि0स0, श्री दशरथ गागराई द्वारा दिनांक 02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ 58 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावां जिले के कुचाई–अरूवां–डोरो–रिडिंग–डुडांगदा पथ, आमदा मोटु चौक–गुवाबेरा–पांडुवा–काशपुर–बड़बील पथ बड़ाबाम्बो–सरगीडीह–लौजोड़ा–गोपीनाथपुर–चारमोड़ तथा कृष्णापुर–गितिलता–सुपाईसाई – जोजोकुड़मा–रोलाडीह–पेटेढीपा पथ को MDR में परिवर्तित करने से ग्रामीणों को आवागमन में काफी सुविधा होगी ; 2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पथों को MDR में परिवर्तित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	यह पथ, पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है । ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस पथ के हस्तांतरण के उपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर पथ निर्माण की योजना पर विचार किया जा सकेगा ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–65/2016 1362(5) राँची/दिनांक : 29/2/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1354 दिनांक 22.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

29/02/16
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–65/2016 1362(5) राँची/दिनांक : 29/2/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

29/02/16
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

760

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, मा0स0वि0सभा0 द्वारा दिनांक– 02.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय–67 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		**श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–**
1.	क्या यह बात सही है कि कांके प्रखण्ड के अन्तर्गत पिठौरिया ग्राम के केसरी मुहल्ला, ठाकुर मुलल्ला, सोनार मुहल्ला, कसेरा मुहल्ला जहाँ डीप बोरिंग में भी पानी नहीं निकलता है?	वस्तुस्थिति यह है कि कॉके प्रखण्ड अन्तर्गत पिठौरिया पंचायत के ठाकुर टोला, केसरी मुहल्ला, सोनार मुहल्ला एवं कसेरा मुहल्ले में Strata में Fractured Rock की कमी रहने के कारण बोरिंग में पानी मिलने में कठिनाई होती है। वर्त्तमान में इन टोलों में अधिष्ठापित नलकूपों से पानी मिलने में दिक्कत है। साथ ही इन क्षेत्रों में सतही जलस्त्रोत उपलब्ध नहीं है जिससे तत्काल जलापूर्ति योजना का निर्माण किया जा सके। वर्त्तमान इन टोलों में अवस्थित कुल 09 अदद् नलकूप Water Level नीचे जाने कारण या तो अकार्यरत हो गए है या रूक–रूक कर पानी देता है। वर्त्तमान में इन टालों की आबादी द्वारा राजकीय मध्य विद्यालय, पिठौरिया, जोड़ा–तलाब एवं अम्बा टोली हरिजन में अधिष्ठापित HYDT आधारित Deep Well Hand Pump एवं अम्बा टोली बगीचा स्थित कूप से पानी का उपयोग पेयजल के लिए किया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि पिठोरिया ग्राम के सभी कुंआ चापानल यहाँ तक की घरों में डिप बोरिंग भी सुख गए है फलस्वरूप ग्रामीणों को 2 कि0मी0 दूर से पानी लाना पड़ रहा है?	0.5 किलोमीटर से 1.00 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित पेयजल श्रोत का उपयोग किया जा रहा है।
3.	क्या यह बात सही है कि पिठौरिया के ग्रामणों द्वारा विभाग के संबंधित पदाधिकारीयों से सम्पर्क करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो सका है?	वास्तविकता यह है कि यहाँ जलश्रोत की समस्या है। यह सामुदायिक सहभागिता से रैन वाटर हारवेस्टिंग को वढ़ावा दिया जाना है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पिठौरिया में घोर–पेयजल की समस्या को देखते हुए पेयजल आपूर्ति कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। वैक्लपिक स्त्रोत खोजकर डीप बोरिंग कर जलापूर्ति का प्रयास किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

ज्ञापांक :–. 7/ता0प्र0– 01–46/2015– 1023 राँची, दिनांक :– 1/3/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 1535 दिनांक– 25.02.2016 के कम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/3/16
(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता0प्र0– 01–46/2015– 1023 राँची, दिनांक :– 1/3/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/3/16
(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

*61

श्री राज कुमार यादव, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा से प्राप्त दिनांक–02.03.16 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–न0–44 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची नगर निगम सहित राज्य के अन्य नगर निकायों में विभिन्न कार्यों हेतु विगत वर्षों में दर्जनों डी0पी0आर0 बनाए गए हैं जिन पर करोड़ों रूपये खर्च हुए है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा आवश्यकता आधारित परियोजनाओं का डी0पी0आर0 ही तैयार कराने की कार्रवाई की जाती है। डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु परामर्शी को एकरारनामा के अनुसार परामर्शी शुल्क का भुगतान किया जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि डी0पी0आर0 बनाने और कंसल्टेंट बहाल करने के बावजूद ज्यादातर योजनाएँ अब तक शुरू नहीं हो सकी है, जिसके कारण इसमें हुए व्यय से राज्य को राजस्व की क्षति हुई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि नगर निकायों में अधिकांश डी0पी0आर0 पर आधारित योजनाएँ प्रारंभ की गई है। राँची नगर निगम द्वारा विगत वर्षों में बिरसा बस स्टैण्ड, मधुकम खादगढ़ा स्थित सब्जी बाजार, राँची शहर के सिवरेज ड्रेनेज योजना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं निगम परिक्षेत्रान्तर्गत 16 तालाबों का संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण का डी0पी0आर0 तैयार कराया गया है एवं कार्य प्रगति पर है। अतएव राजस्व की क्षति नहीं हुई है।
3.	यदि उक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मामले में दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने तथा डी0पी0आर0 के अनुसार योजनाएँ शुरू करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	डी0पी0आर0 के पूरा होने एवं विधिवत् तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत ही योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। राँची नगर निगम के मामले में बिरसा बस स्टैण्ड तथा मधुकम खादगढ़ा स्थित सब्जी बाजार का निर्माण कार्य हो चुका है। शेष डी0पी0आर0 पर कार्य प्रगति पर है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक :–5 / न0वि0 / तारांकित–41 / 2016.....1099..... / राँची, दिनांक :– 29/02/16

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–1548, दि0–25.02.16 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।
29/2/16

श्री रामकुमार पाहन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–72 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता श्री रामकुमार पाहन, माननीय स0वि0स0	उत्तरदाता श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत तुपूदाना से सोहदाग पंचायत तक जाने वाली एक मात्र सड़क की स्थिति अत्यंत जर्जर है;	1. स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क की स्थिति जर्जर रहने से आम जनताओं को आवागमन में परेशानी होती है;	2. स्वीकारात्मक।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पथ को प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	3. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में मा0 स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित कतिपय पथों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में बजटीय उपबंध सीमित है। अतः उक्त पथ वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में लिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–304/16 ग्रा0का0वि 1098 राँची/दिनांक– 29-2-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–793, दिनांक–14.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–304/16 ग्रा0का0वि 1098 राँची/दिनांक– 29-2-16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–304/16 ग्रा0का0वि 1098 राँची/दिनांक– 29-2-16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(763)

श्री जयप्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–02.03.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–155

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री जयप्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अंतर्गत विष्णुगढ़ प्रखण्ड के ग्राम–गोविन्दपुर एवं बोकारो जिला के गोमियॉ प्रखण्ड के ग्राम–मंगरो के बीच कोनार नदी में पुल के अभाव में लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के प्रखण्ड विष्णुगढ़ एवं बोकारो जिला के ग्राम–मंगरो अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित है ;	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गोविन्दपुर एवं मंगरो के बीच कोनार नदी पर पुल निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हॉ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में एक पुल निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। सीमित बजट उपबंध रहने के कारण प्रश्नांकित पुल की स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 92 / 2016 / ग्रा0का0 1085 राँची, दिनांक : 29-2-16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–1528 वि0स0 दिनांक 25.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आसिफ हसन)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 92 / 2016 / ग्रा0का0 1085 राँची, दिनांक : 29-2-16

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 92 / 2016 / ग्रा0का0 1085 राँची, दिनांक : 29-2-16

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

764

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची

दिनांक 02–03–2016 को श्री जगरनाथ महतो, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–परि०–02 की उत्तर सामग्रीः–

	प्रश्नकर्त्ता **श्री जगरनाथ महंतो** **माननीय स०वि०स०**		*उत्तर* **माननीय श्री सी० पी० सिंह** **मंत्री परिवहन, झारखण्ड सरकार**
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला से बोकारो जिला के बीच परिवहन विभाग की और से कोई बस नहीं चलाया जा रही है;	–	उत्तर – स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त वर्णित जिला के बीच बस नहीं चलने से आम लोगों को आवागमन में असुविधा होती है;	–	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, हजारीबाग द्वारा मार्ग बोकारों से गिरिडीह जिला के लिए 17 सवारी बसों के लिए निजी आवेदकों को स्थायी परमिट निर्गत किया गया है। उक्त बसों का नियमित परिचालन किया जा रहा है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त वर्णित जिले के बीच बस सेवा शुरू करना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	–	उत्तर – कण्डिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक –परि०वि०(वि०स०)–45/2016 393 **/राँची,दिनांक** 01-03-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय राँची को उनके पत्रांक–589 दिनांक 12.02.2016 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ /उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित ।

1/3/16
सरकार के संयुक्त सचिव

16.12.2015

765

श्री शिवशंकर उराँव, मा0स0वि0सभा0 द्वारा दिनांक– 02.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या न0– 49 का उत्तर :–

क्र0	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि राँची में काँके, रूक्का और गोंदा डैम क्षेत्र में बिना नक्शे के कई लोगों ने पब्लिक ओपेन स्पेस में भवन का निर्माण और अतिक्रमण कर लिया है?	**वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है :–** 1.**गोंदा (कॉके) डैम :–** गोंदा डैम के अधिग्रहित क्षेत्र का सीमांकन किया जा चुका है इसमें अतिक्रमण पाया गया है। निगम द्वारा अवैध रूप से Public open space में निर्मित 95 व्यक्तियों पर झारखण्ड नगर पालिका अधिनियम 2011 एवं Building Bye Laws के अन्तर्गत अनाधिकृत निर्माण वाद दर्ज किया गया है जिसकी सुनवाई नगर आयुक्त, राँची नगर निगम के न्यायालय में चल रही है। 2.**हटिया डैम :–** हटिया डैम के जलाशय क्षेत्र के जमीन से संबंधित नक्शा भू–अर्जन कार्यालय, राँची एवं पटना से उपलब्ध करा लिया गया है। हटिया जलाशय का कुल रक्बा चिह्नित करने हेतु पत्रांक– 43 दिनांक– 09.01.2016 के द्वारा उपायुक्त, राँची को अमीन संबंधित उपकरणों समेत प्रतिनियुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। अमीन उपलब्ध होने के उपरान्त सीमांकन कार्य शीघ्र सम्पन्न करा लिया जायेगा। 3.**रूक्का डैम :–** रूक्का डैम का भू–भाग जो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के नियंत्राधीन है, उसमें किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं पाया गया है। रूक्का डैम का शेष अधिग्रहित भू–भाग जल संसाधन विभाग के नियंत्राधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि मुख्य सचिव के निर्देश के बावजूद उपरोक्त मामले में अतिक्रमण कारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में लापरवाही बरती जा रही है ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3.	अगर उक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार डैम क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने और दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

ज्ञापांक :– 7/ता0प्र0– 02–53/2015– 1022 राँची, दिनांक :– 1/3/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 1549 दिनांक– 25.02.2016 के कम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/3/16

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता0प्र0– 02–53/2015– 1022 राँची, दिनांक :– 1/3/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/3/16

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता0प्र0– 02–53/2015– 1022 राँची, दिनांक :– 1/3/16

प्रतिलिपि :– उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को उनके पत्रांक– 8/तारा0/116 /न0वि0– 1134(अनु0), रॉची, दिनांक– 29.02.2016 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/3/16

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

766

मा0, स0वि0स0, श्री दशरथ गागराई द्वारा दिनांक 02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ 57 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सही है कि खरसावां–हुडांगदा–रायजामा–कांदरकुटी –रड़गांव पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूीकरण कार्य धीमी गति से चल रहा है ;	यह पथ खरसावाँ–हुडागदा–रायजामा–कान्दरकुटी होते हुए राजकीय उच्च पथ संख्या–33 को रड़गाँव के पास जोड़ती है । पथ में भू–अर्जन कार्य में नया भू–अर्जन अधिनियम लागू होने के कारण एवं भू–अर्जन की कार्रवाई लम्बित रहने के कारण कार्य की प्रगति धीमी रही है । वर्त्तमान में कार्य प्रगति में है ।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त निर्माण कार्य के धीमी गति से चलने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है ;	गामीणों के आवागमन को ध्यान में रखते हुए पथ में ग्रेनुलर सब बेस (GSB) एवं वाटर बाउण्ड मेकाडम (WMM) का कार्य सम्पादित कराया जा रहा है, जिससे सतह चिकनी है । फलतः ग्रामीणों को आवागमन में कोई परेशानी नहीं हो रही है ।
3. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पथ निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	पथ का कार्य प्रगति में है एवं कार्य को माह जून, 2016 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–64 / 2016 1361(5) राँची / दिनांक : 29/2/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1357 दिनांक 22.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

पी० मुर्मू
29/02/16
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–64 / 2016 1361(5) राँची / दिनांक : 29/2/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

पी० मुर्मू
29/02/16
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

767

श्री राधा कृष्ण किशोर, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–07 का उत्तर सामग्री

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत छत्तरपुर, नौडीहा बाजार तथा पाटन प्रखण्ड में वर्ष 2010–11 में 7,86,80,500 (सात करोड़ छेयासी लाख अस्सी हजार पॉच सौ) रूपये की लागत से कुल 37 राजीव गॉधी सेवा केन्द्र के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई थी ?	स्वीकारात्मक ।
(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित स्वीकृत राजीव गॉधी सेवा केन्द्र के भवन निर्माण की कुल 31 भवनों का निर्माण कार्य 15 जनवरी, 2016 तक अधूरा पड़ा हुआ है ?	स्वीकारात्मक ।
(4) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएग कि 31 अधूरे राजीव गॉधी सेवा केन्द्र के भवनो का निर्माण कब तक पूरा कराना चाहती है ?	कुल 31 लम्बित राजीव गांधी सेवा केन्द्र पंचायत भवन में से 03 योजना का कार्य भूमि अप्राप्त रहने के कारण प्रारंभ नहीं किया गया है । शेष 28 राजीव गांधी सेवा केन्द्र पंचायत भवन को आगामी वित्तीय वर्ष तक पूर्ण करा लिया जाएगा ।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांकः–1स्था(वि0)–68 / 2016–730–/, राँची, दिनांकः– 1.3.16

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक संख्या 641 दिनांक 12.02.2016 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– –1स्था(वि0)–68 / 2016–730–/, राँची, दिनांकः– 1.3.16

प्रतिलिपिः– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य / माननीय मंत्री, पंचायती राज, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– –1स्था(वि0)–68 / 2016–730–/, राँची, दिनांकः– 1.3.16

प्रतिलिपिः– उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव

768

श्री विदेश सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–02.03.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–69

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री विदेश सिंह, माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।**
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अंतर्गत लेस्लीगंज प्रखण्ड के ग्राम– सोहनी नाला पर पुल न रहने के कारण आम ग्रामीणों को यातायात में काफी असुविधा उत्पन्न हो रही है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि पथ ईद–गिर्द काफी घनी आबादी है ;	स्वीकारात्मक है।
3. क्या यह बात सही है कि पथ के अभाव में आम ग्रामीणों को यातायात में काफी असुविधा उत्पन्न हो रही है ;	स्वीकारात्मक है।
4. यदि उपरोक्त प्रश्न खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित नाला पर पुल निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में एक पुल निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। सीमित बजट उपबंध रहने के कारण प्रश्नांकित पुल की स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 50 / 2016 / ग्रा0का0 1088 राँची, दिनांक : 29-2-16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–640 वि0स0 दिनांक 12.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आसिफ हसन)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 50 / 2016 / ग्रा0का0 1088 राँची, दिनांक : 29.2.16

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 50 / 2016 / ग्रा0का0 1088 राँची, दिनांक : 29.2.16

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

769

श्री मनोज कुमार यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–98 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री मनोज कुमार यादव, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला अन्तर्गत चन्दवारा प्रखण्ड में पटना राँची रोड ग्राम उरमां से ग्राम ढाब तक पी0डब्ल्यू0डी0 पथ को जोड़ने वाली सड़क की स्थिति अत्यंत ही जर्जर है;	1. स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित पथ का जीर्णोद्धार नहीं होने से आमजनों को आवागमन में कठिनाई हो रही है;	2. स्वीकारात्मक।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पथ का शीघ्र जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	3. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में मरम्मति मद में बजटीय उपबंध सीमित है। अतः प्रश्नाधीन पथ का मरम्मति कार्य तत्काल लिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–370 / 16 ग्रा0का0वि.....1123.....राँची / दिनांक–....01-3-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–812, दिनांक–14.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–370 / 16 ग्रा0का0वि.....1123.....राँची / दिनांक–....01-3-16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–370 / 16 ग्रा0का0वि.....1123.....राँची / दिनांक–....01-3-16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

770

श्री रबीन्द्र नाथ महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–पथ–26 का उत्तर सामग्री :–

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री रबीन्द्र नाथ महतो, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1.	क्या यह बात सही है कि जामताडा जिला के नाला विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत नाला प्रखण्ड में बांघाकूड़ी से काली पहाड़ी तक, धूटबोना से इंदकूडी तक / फतेहपुर प्रखण्ड में उत्तमडीह से फूल्सहरी – धोटूडीह होते हुए जगतडीह तक, खैरबनी पहाडी से सुसनीबाद होते हुए धसनियाँ डाक बंगला तक, कूयलाभाषा से दिनारी तक एवं राधामाठ से भागूपाड़ा होते हुए खैरबनी हाई स्कूल मोड़ तक पथ अत्यंत जर्जर है।	स्वीकारात्मक।
2..	क्या यह बात सही है कि उक्त सभी पथ जर्जर हो जाने से वहाँ के ग्रामीणों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है।	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त सभी पथों को मरम्मति कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों।	प्रसांगाधीन पथ में से खैरवानी पहाडी से सुसनीबाद होते हुए धासनियाँ डाक बंगला पथ का प्राक्कलन पी०एम०जी०एस०वाई० में 13वें चरण अन्तर्गत बनाया जा रहा है। अन्य पथों का निर्माण सीमित बजटीय उपबंध के कारण इस वित्तीय वर्ष में राज्य संपोषित योजना अन्तर्गत कराना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–368 / 16 ग्रा0का0वि.....1124.....राँची / दिनांक–....01-3-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–603, दिनांक–12.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–368 / 16 ग्रा0का0वि.....1124.....राँची / दिनांक–....01-3-16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–368 / 16 ग्रा0का0वि.....1124.....राँची / दिनांक–....01-3-16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले),

771

श्री चम्पई सोरेन्, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–02.03.16 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–37 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावाँ जिलान्तर्गत आदित्यपुर के माझीटोला, चाँदनी चौंक के सामने एक बिल्डर द्वारा चार मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई है ;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित इलाके का नक्शा गलत ढंग से पारित कराकर चार मंजिल के स्थान पर सात मंजिल इमारत खड़ी कर दी गई है ;	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि आदित्यपुर नगर परिषद के भवन प्लान स्वीकृति संख्या–1269 दिनांक–24.09.2012 द्वारा स्वीकृत G+4 भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है एवं उक्त के आलोक में ही G+4 भवन का निर्माण कार्य किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित जमीन पर से जी0–04 के स्थान पर जी0–07 के रूप में बनाई गई इमारत की जाँच कराकर उचित कार्रवाई करना चाहती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक :–5 / वि0स0(तारांकित)–37 / 2016 1066 / राँची, दिनांक :– 26/02/16

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–1352, दि0–22.02.16 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
26/02/16

(772)

मा0, स0वि0स0, श्री पौलुस सुरीन द्वारा दिनांक 02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ 29 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला अन्तर्गत बानो प्रखण्ड मुख्यालय से पाबूड़ा भाया टाटी रेलवे स्टेशन लगभग 20–कि0मी0 ग्रामीण पथ है, जो काफी जीर्णशीर्ण है, फलसवरूप बरसात में लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है ; 2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसे पथ निर्माण में स्थानान्तरित करते हुए सड़क का मजबुतीकरण एवं देवनदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	यह पथ, पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है । ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस पथ के हस्तांतरण के उपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर पथ निर्माण की योजना पर विचार किया जा सकेगा ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–19 / 2016 1355(1) राँची / दिनांक : 29/2/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 282 दिनांक 10.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

29/02/16
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–19 / 2016 1355(1) राँची / दिनांक : 29/2/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

29/02/16
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

(773)

श्री ताला मराण्डी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–82 का उत्तर सामग्री :–

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री ताला मराण्डी, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला अन्तर्गत प्रखंड मंडरो स्थित क्रमशः (1) पिण्डरा से चूनाखरी पथ (2) गड़रा से घटियारी पथ (3) गड़रा पंचायत के कस्तूरबा गाँधी स्कूल से बसहा तक पथ का निर्माण वित्तीय वर्ष 2014–15 में करोड़ो की लागत से निर्माण कराया गया है;	स्वीकारात्मक।
2..	क्या यह बात सही है कि निर्माण कार्य होते ही उक्त सड़कों में सैकड़ो जगह छोटे–बड़े गड्ढे के साथ टूट–फूट गये है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि सड़क निर्माण के समय ही एक तरफ से सड़क बन रहे थे दूसरी तरफ उखड़ते जा रहे थे;	अस्वीकारात्मक।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त खण्ड–1 में वर्णित सड़कों के निर्माण में बरती गई अनियमितता, सरकारी राजस्व की हुई लूट के विरूद्ध एक उच्चस्तरीय जाँच टीम गठन कर संवेदक एवं तत्कालीन विभागीय पदाधिकारी के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कबतक, नही तो क्यों?	उक्त सभी पथों का निर्माण कार्य पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत पंचम एवं षष्टम चरण में कराया गया है। पथों के आस पास पत्थर खनन उद्योग होने के कारण एवं क्षमता से अधिक भारी वाहन के परिचालन होने के कारण पथ आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। संबंधित संवेदक को शीघ्र मरम्मति का निदेश दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–313 / 16 ग्रा0का0वि.....1096.....राँची / दिनांक–...29.2.16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–804, दिनांक–14.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–313 / 16 ग्रा0का0वि.....1096.....राँची / दिनांक–...29.2.16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–313 / 16 ग्रा0का0वि.....1096.....राँची / दिनांक–...29.2.16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(774)

श्री योगेश्वर महतो, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–02.03.2016 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–न०–07 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के बेरमो प्रखण्ड परिसर में वर्षों से फुसरो नगर परिषद का कार्यालय संचालित हो रहा है, जिससे उक्त परिषद के कार्यालय संचालन में काफी असुविधा होती है;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि बेरमो प्रखण्ड परिसर में जमीन के अभाव में आज तक मॉडल प्रखण्ड कार्यालय का निर्माण नहीं हो पाया है ऐसे में उक्त परिसर में दो विभागों का कार्यालय संचालन जनहित में उपयोगी नहीं है;	वस्तुस्थिति यह है कि ग्रामीण विकास विभाग के अधीन बेरमो प्रखण्ड कार्यालय परिसर 14.22 एकड़ भूमि पर अवस्थित है। अतएव प्रखण्ड कार्यालय अन्यत्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार फुसरो नगर परिषद का कार्यालय वर्त्तमान प्रखण्ड कार्यालय परिसर में करने एवं प्रखण्ड कार्यालय का निर्माण अन्यत्र करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त प्रखण्ड कार्यालय परिसर में ही फुसरो नगर परिषद के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 20 डिसमिल भूमि उपलब्ध कराने के लिए उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक–1266 दिनांक–16.08.2014 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5/वि०स० (तारांकित)–17/2016.....1094..... राँची, दिनांक– 29/02/16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–595/वि०स० दिनांक–12.02.2016 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।
29/2/16

775

श्री कुशवाहा शिव पूजन मेहता, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम 35 का उत्तर सामग्री

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार द्वारा सभी पंचायतों में पंचायत भवन बनाने का निदेश स्थानीय प्रशासन को दिया गया था ?	स्वीकारात्मक ।
(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 के आलोक में राज्य में अनेक पंचायत में भवन निर्माण नहीं कराया गया ?	पंचायत भवनों के निर्माण से संबंधित स्थिति निम्नवत है :–
(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित तथ्य के आलोक में अनेक पंचायतों के भवन अधूरे पड़े हैं ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट की गई है ।
(4) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के सभी पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण अविलम्ब कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अब तक 168 अपूर्ण भवनों के लिए एवं 13 नए पंचायत भवनों के लिए राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है । अगले दो वर्षों में सभी पंचायत भवनों को पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

क्र0	कुल पंचायत	पूर्ण पंचायत भवन	अपूर्ण पचायत भवन	विभिन्न कारणों से लम्बित पंचायत भवन (भूमि विवाद/न्यायालय में विचाराधीन	नव निर्माण हेतु लम्बित
1	2	3	4	5	6
1	4402	3272	952	116	62

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांकः–1स्था(वि0)–64/2016–––731–––/, राँची, दिनांकः– 1·3·16

प्रतिलिपिः– 215 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 582 दिनांक 12.02.2016 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0)–64/2016–––731–––/, राँची, दिनांकः– 1·3·16

प्रतिलिपिः– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/ माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– –1स्था(वि0)–64/2016–––731–––/, राँची, दिनांकः– 1·3·16

प्रतिलिपिः– उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव

1776

श्री नारायण दास, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–02.03.2016 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–न०–36 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि देवघर जो बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है तथा प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु का आना जाना होता है;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि बाबा बैद्यनाथ धाम स्थित शिवगंगा का पानी आज भी प्रदूषित है, जहाँ आज भी लाखों श्रद्धालु उस प्रदूषित शिवगंगा में स्नान करने को मजबूर है;	स्वीकारात्मक है।
3	यदि उक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शिवगंगा को प्रदूषण मुक्त कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–4117 दि०–19.09.2014 द्वारा देवघर स्थित पवित्र शिवगंगा तालाब को प्रदूषण मुक्त करने के निमित्त जल परिशोधन संयंत्र स्थापित किये जाने हेतु कुल 10,85,65,000/–रू० की लागत पर परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गयी है। पुनः विभागीय स्वी०सं०–93 दि०–22.10.2014 द्वारा देवघर नगर निगम को उक्त योजना हेतु कुल 5,27,69,230/–रू० आवंटित किये गये है। देवघर नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पवित्र शिवगंगा तालाब के परिशोधन का कार्य अप्रैल, 2016 तक पूर्ण होने की संभावना है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5/न०वि० (तारांकित)–31/2016.....1091..... राँची, दिनांक– 29/02/16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1186/वि०स० दिनांक–18.02.2016 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।
29/2/16

777

श्री दीपक बिरूवा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–131 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री दीपक बिरूवा, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि प0 सिंहभूम जिलान्तर्गत सदर प्रखण्ड के तुईवीर पंचायत में तुईवीर चौक से ग्राम–बाईतुईवीर तक 03 कि0मी0 सड़क अत्यन्त ही जर्जर अवस्था में है;	1. स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ जर्जर होने के कारण स्थानीय ग्रामीणों को अवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	2. आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोकहित में उक्त पथ का निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	3. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में मा0 स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित कतिपय पथों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में बजटीय उपबंध सीमित है। अतः उक्त पथ वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में लिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–357 / 16 ग्रा0का0वि.....1102.....राँची / दिनांक–...29-2-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–1342, दिनांक–22.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–357 / 16 ग्रा0का0वि.....1102.....राँची / दिनांक–...29.2.16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–357 / 16 ग्रा0का0वि.....1102.....राँची / दिनांक–...29.2.16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

778

श्रीमती गीता कोड़ा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–02.03.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–119

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती गीता कोड़ा, माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।**
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत मनोहरपुर प्रखण्ड स्थित कोयल नदी का पुल 4.31 करोड़ की लागत से निर्माण हो रहा है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। (निर्माण हो चुका है)। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नांकित पुल का निर्माण वर्ष 2009–10 में ही पूर्ण हो चुका था।
2. क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 की यह योजना वित्तीय वर्ष 2009–10 में 4 करोड़ 30 लाख, 70 हजार रूपया की लागत से पूर्ण किया गया था ;	स्वीकारात्मक है।
3. क्या यह बात सही है कि कोयल नदी पुल मामलें मे 6 अभियंता दोषी पाए गए ;	स्वीकारात्मक है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कोयल नदी पर पुल धसने के मामले में 6 अभियंतओं पर विभाग कार्रवाई करनें का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	प्रश्नांकित पुल के निर्माण कार्य में सलग्न छः अभियंताओं के विरूद्ध पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने के लिए विभागीय कार्यवाही आरम्भ की गई है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 85/2016/ग्रा0का0 1087 राँची, दिनांक : 29.2.16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–1116 वि0स0 दिनांक 17.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/2/16
(आसिफ हसन)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 85/2016/ग्रा0का0 1087 राँची, दिनांक : 29.2.16

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

29/2/16
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 85/2016/ग्रा0का0 1087 राँची, दिनांक : 29.2.16

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

779

श्री विकास कुमार मुण्डा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– पेय–56 का उत्तर :–

क्र०	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि –	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर –
1	क्या यह बात सही है कि तमाड विधान सभा क्षेत्र में बूण्डू प्रखंड के नगर पंचायत इलाके में विगत तीन–चार महीनों से जलापूर्ति बाधित है	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि विभाग जलापूर्ति नियमित करवाने की दिशा में अभी तक कोई ठोस पहल नही कर पाई है।	वस्तुस्थिति यह है कि पूरे तमाड विधान सभा क्षेत्र में लो भोल्टेज़ समस्या है। फलस्वरूप योजना के परिचालन में लगे मोटर पम्प को पर्याप्त विद्युत (भोल्टेज़) नही मिल पाता है, जिसके कारण आंशिक जलापूर्ति हो पाती है। बुण्डू शहरी जलापूर्ति योजना लगभग 34 वर्ष पूराना है। इस योजना के सारे अवयव अपना समय पूरा कर चूका है। पाईप लाईन, मोटर पम्प, इंटेकवेल आदि काफी पुराना हो चुका है। योजना के पुनर्गठन का कार्य प्रगति में है। यह कार्य ज़मा शीर्ष अन्तर्गत कराया जा रहा है।
3	क्या यह बात सही है कि जलापूर्ति नियमित नही होने से नगर पंचायत इलाके में त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है।	खण्ड (2) में उतर स्पष्ट है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नगर पंचायत इलाके में अविलंब जलापूर्ति नियमित कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	खण्ड (2) एवं (3) में उतर स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :–7 / ता0 प्र0–01–44 / 2015 997 दिनांक :– 29/2/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–1534 दिनांक–25.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/2/16

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 7 / ता0 प्र0–01–44 / 2015 997 दिनांक :– 29/2/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, प्रशाखा–05, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/2/16

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

मा0, स0वि0स0, श्री (डॉ0) जीतू चरण राम द्वारा दिनांक 02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ 46 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि डुमरदागा पंचायत का एक सघन आबादी वाला क्षेत्र सुगनू है जो एक टापू के जैसे मेलेट्री छावनी से घिरा हुआ है ;	स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि सुगनू ग्राम वासियों के आसानी से जाने आने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक ।
3. क्या यह बात सही है कि आर्मी एरिया में सिविलियन को आसानी से आने–जाने में दिक्कत होती है ;	स्वीकारात्मक ।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इनके लिए गेतलातु NH-33 से सुगनू गाँव भाया जुमार नदी पथ का निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	संदर्भित पथ पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत नहीं है ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–49 / 2016 1359(S) राँची / दिनांक : 29/2/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 922 दिनांक 16.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

पी० मुर्मू
29/02/16
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–49 / 2016 1359(S) राँची / दिनांक 29/2/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

पी० मुर्मू
29/02/16
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

781

श्री नलिन सोरेन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–02.03.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–104

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री नलिन सोरेन, माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।**
1. क्या यह बात सही है कि दुमका जिला के प्रखण्ड–शिकारीपाड़ा अंतर्गत दुधागोल से जबरराहा के बीच पुल निर्माण एवं सरायपानी कदमटोला से डीलरटोला के बीच पुल का निर्माण अबतक नहीं किया गया है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पुलों के नहीं बनने से ग्रामीणों को शिकारीपाड़ा प्रखण्ड मुख्यालय आवागमन में काफी परेशानी होती है ;	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त पुलों का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नहीं, तो क्यों ?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में एक पुल निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। सीमित बजट उपबंध रहने के कारण प्रश्नांकित पुल की स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 80 / 2016 / ग्रा0का0 1089 राँची, दिनांक : 29.2.16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–936 वि0स0 दिनांक 16.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/2/16
(आसिफ हसन)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 80 / 2016 / ग्रा0का0 1089 राँची, दिनांक : 29.2.16

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

29/2/16
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 80 / 2016 / ग्रा0का0 1089 राँची, दिनांक : 29.2.16

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

श्री आलोक कुमार चौरसिया, मा0स0वि0सभा0 द्वारा दिनांक– 02.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय–08 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, मेदिनीनगर द्वारा किसी निविदा में संवेदक द्वारा सही कागजात उपलब्ध कराने के बावजूद उनके पक्ष में कार्य आवंटित न कर अपने चहेते को कार्य आवंटित करते हैं जिनकी अहर्ताए भी पूरा नहीं होती है जो जाँच का विषय है इससे भ्रष्टाचार की बू आती है?	वस्तुस्थिति यह है कि संवेदक निबंधन नियमावली 2012 ज्ञापांक 400 दिनांक 23.06.2012 अधिसूचित है। इसमें चार श्रेणी के संवेदक है। इसमे अधिसूचना संख्या 705 दिनांक 06.11.12 द्वारा संशोधन कर चापाकल एवं लघु पाईप जलापूर्ति में अपने श्रेणी से 2 स्तर नीचे तक में निविदा डालने का संशोधन किया गया। इसके कारण IS (उच्चतम) श्रेणी के संवेदक 10–50 लाख तक कार्य में भाग ले रहे है। अधीक्षण अभियन्ता द्वारा BOQ एवं निविदा शर्त्तो का निर्धारण किया जाता है। इस मामले निविदा शर्त्त निविदा सूचना DWSD/लातेहार 10/2014–15 12. 1(X) का उल्लंघन कर कार्य आवंटन का है। निविदा शर्त्त के प्रकाशन तथा टेन्डर आंमत्रण के बाद निर्णय लेने के कम में उसमें परिवर्त्तन नहीं किया जा सकता है। इस तरह यह शर्त्तो के उल्लंघन का मामला है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त अधीक्षण अभियंता के विरूद्ध में श्री संतोष कुमार संवेदक (शिवशंकर बौरवेल) मेदिनीनगर के पत्रांक– 32, दिनांक– 21.01.2015 के द्वारा शपथ पत्र संजय कुमार सिन्हा, सरकार के अपर सचिव को दिया गया जिसके आलोक में अवर सचिव के पत्रांक–03/आ0वि0–521– दिनांक– 13.02.2015 द्वारा भी जॉच की दिशा में कार्यवाई हेतु लिखा गया जो अब तक लंबित है?	अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, मेदिनीनगर के विरूद्ध में श्री संतोष कुमार, पार्टनर शिवशंकर बौरवेल एवं सेनेट्री मेदिनीनगर द्वारा पत्रांक–32, दिनांक– 21.01.2015 के माध्यम से पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, लातेहार के अर्न्तगत ड्रील नलकूप निर्माण कार्य हेतु हुई ई–निविदा में मेसर्स कॉसरेक्स ड्रिलर्स द्वारा जाली स्वच्छता प्रमाण पत्र देने तथा इनके आवेदन को नजरअंदाज करने के संबंध में मुख्य अभियंता (मु0) को परिवाद पत्र समर्पित किया गया। तदोपरांत अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, मेदिनीनगर से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा के कम में निम्न तथ्य सज्ञान में आया। 1. निविदा सूचना संख्या– DWSD/Latehar-2014-15 के ग्रुप संख्या– LASRDT – 1 प्राक्कलित राशि 5252050.00 (बावन लाख बावन हजार पचास रूपये) का निविदा प्रकाशित किया गया था जिसके विरूद्ध मेसर्स कॉसरेक्स ड्रीलर्स को कार्य आवंटित किया गया था। 2. मेसर्स शिवशंकर बोरवेल्स एवं सेनेट्री के द्वारा के आवेदन दिनांक–26.10.14 जो अधीक्षण अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, मेदिनीनगर के कार्यालय में दिनांक–27.10.14 को प्राप्त हुआ है, में कॉसरेक्स ड्रीलर्स द्वारा गलत आचरण प्रमाण–पत्र समर्पित करने की सूचना देते हुये उनके आचरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की सत्यापन के उपरान्त निविदा निस्तार करने की प्रक्रिया करने का अनुरोध किया गया था। लेकिन अधीक्षण अभियंता के द्वारा अभ्यावेदन के गम्भीरता को न तो संज्ञान में लिया गया है न ही आचरण प्रमाण पत्र की सत्यापन की कार्रवाई की गई तथा उनके पत्रांक–900 दिनांक–2.12.14 के द्वारा निविदा ग्रुप

		संख्या–LASRDT 1 की स्वीकृति मेसर्स कॉसरेक्स ड्रिलर्स को प्रदान की गयी है, जो नियमसंगत नहीं है एवं व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के श्रेणी में आता है। 3. परिवादकर्त्ता शिवशंकर बौरवेल एवं सेनेटरी के द्वारा समर्पित परिवाद में वर्णित तथ्यों विशेषकर मेसर्स कॉसरेक्स ड्रीलर्स के द्वारा समर्पित आचरण प्रमाण पत्र संख्या– 578 दिनांक– 03.10.2013 के समीक्षा के कम में जन सूचना पदाधिकारी–सह–प्रभारी उप समाहर्त्ता जिला समान्य प्रशाखा पलामू के पत्रांक– 1871 दिनांक– 12.12.2014 से ज्ञात होता है कि संवेदक आचरण प्रमाण पत्र संख्या– 578 श्री मनोज कुमार यादव, पिता श्री मटरू यादव, ग्राम– किशनपुर, थाना– पाटन, जिला– पलामू के नाम से निर्गत है जिसकी निर्गत तिथि 18.12.2013 है। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि मेसर्स कॉसरेक्स ड्रीलस के द्वारा समर्पित आचरण प्रमाण पत्र गलत है। संवेदक **झारखण्ड पेयजल स्वच्छता संवेदक निबंधन नियमावली 2012** के कंडिका 10.1.11, 10.1.12, 10.1.13 के आलोक में संवेदक को रिश्वत, भ्रष्टाचार या कपट जैसा अनाचार करना प्रतिवन्धित है। उक्त कारण वैसे संवेदक को काली सूची में डालने के लिए यथेष्ट आधार बनता है। मेसर्से कॉसरेक्स डीलर्स के द्वारा समर्पित जाली आचरण प्रमाण पत्र उक्त प्रावधान का उल्लंघन है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसे अधीक्षण अभियंता को यथाशीघ्र उक्त पद से हटाते हुए जॉच का आदेश देना चाहेगी तथा दोषी पाये जाने पर दण्डात्मक कार्रवाई करना चाहेगी, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर स्वीकारात्मक है। झारखण्ड पेयजल स्वच्छता संवेदक निबंधन नियमावली 2012 के विरूद्ध आचरण एवं निविदा शर्त्तो के उल्लंघन के लिए श्री अवधेश पाण्डेय, अधीक्षण अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, मेदनीनगर दोषी है, उन्हे निलम्बित करते हुए प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है तथा उक्त नियमावली के कंडिका 10.1.11, 10.1.12, 10.1.13 के आलोक में संवेदक को काली सूची में डालने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु मुख्य अभियंता, सी0डी0ओ0, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को निदेशित किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

ज्ञापांक :– 4/वि0स0– 1002/2016– 1032 राँची, दिनांक :– 1/3/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 584, दिनांक– 12.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/3/16

(संजय कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 4/वि0स0– 1002/2016– 1032 राँची, दिनांक :– 1/3/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ

783

श्री हरिकृष्ण सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– ग्राम–122 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री हरिकृष्ण सिंह, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अंतर्गत बरवाडीह प्रखण्ड के छिपादोहर में अतिक्रमण से हटाये गये स्थानीय एवं निर्धन दूकानदारों के सामने रोजी–रोटी की समस्या खड़ी हो गयी है, और वे पूर्णतः बेरोजगार हो गये है।		वस्तुस्थिति यह है कि अतिक्रमण के तहत 25 दूकानदारों को हटाया गया है परन्तु उक्त के परिणाम स्वरूप संबंधित दूकानदारों की निर्धनता अथवा बेरोजगारी के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा दूकान निर्माण कर सरकारी नियमानुसार आवंटित करने से उनका समस्या का निदान हो सकता है।		बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम में सरकार द्वारा अतिक्रमित भूमि मुक्त कराने के उपरांत उसपर दूकान निर्माण कर अतिक्रमणकारियों को आवंटित करने का कोई नियम नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर वर्णित स्थल पर दूकान निर्माण कर सरकारी नियमानुसार देना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?		उक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–5/स0भू0 वि0स0 (तारां0) –36/16 786 (5)/रा0 दिनांक– 01-03-16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1111/वि0स0, दिनांक–17.02.16 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

(784)

मा0, स0वि0स0, श्री निरल पुरती द्वारा दिनांक 02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ 22 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि पं0 सिंहभूम जिला के मझगाँव विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बेनीसगर से खड़पोस, धोबाधेबिन होते हुये परमहँसदा पथ काफी जर्जर अवस्था में है ; 2. क्या यह बात है कि उक्त पथ के निर्माण हो जाने से कुमारडुँगी एवं मझगाँव प्रखण्ड को जोड़ते हुये अन्तर राज्य उड़िसा को भी जोड़ती है; 3. क्या यह बात है कि उक्त वर्णित पथ की स्थिति काफी जर्जर होने के कारण आवागमन में लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं ; 4. यदि उक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोकहित में उक्त वर्णित पथ निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	यह पथ, पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है । इस पथ के हस्तांतरण के उपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर पथ निर्माण की योजना पर विचार किया जा सकेगा ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–15/2016 1354(5) राँची/दिनांक 29/2/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 275 दिनांक 10.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

29/02/16
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–15/2016 1354(5) राँची/दिनांक : 29/2/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

29/02/16
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

785

मा0, स0वि0स0, श्री प्रकाश राम द्वारा दिनांक 02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ 62 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – **1.** क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत (1) उदयपुरा से मुरूप भाया पकरार (लातेहार प्रखण्ड)–15 कि0मी0 (2) सिकनी (चन्दवा प्रखण्ड) से रेंची (चन्दवा प्रखण्ड)–7 कि0मी0 (3) जगलदगा से कामता (चन्दवा प्र0)–26 कि0मी0 (4) लोहरसी (चन्दवा प्रखण्ड) से बरवाटोली–28 कि0मी0 (5) लुकुईया से बोदा–10 कि0मी0 (6) मकईयाटांड से मूरपा (बालूमाथ प्र0) भाया धाधु–15 कि0मी0 (7) नवादा से हेरनहोपा भाया मतकोमा–25 कि0मी0 (8) बरछिया से लावालौंग भाया बालूभांग–20 कि0मी0, पथ निर्माण जनहित में अति आवश्यक है ; **2.** क्या यह बात सही है कि यह सभी पथ उग्रवाद प्रभावित, अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल क्षेत्र में आते है तथा एक पंचायत से दूसरे पंचायत, एक प्रखण्ड को दूसरे प्रखण्ड तथा एक जिला को दूसरे जिला से जोड़ते हैं; **3.** क्या यह बात सही है कि पूर्व में यह ग्रामीण कार्य विभाग के पथ थे परन्तु उक्त पथों की लम्बाई एवं एक दूसरे पंचायत/प्रखण्ड/जिला को जोड़ने वाली पथ होने के कारण इन्हें पथ निर्माण विभाग को स्थानान्तरण कर निर्माण कराया जाना चाहिए ; **4.** यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सरकार उपरोक्त सभी पथों को ग्रामीण कार्य विभाग से स्थानान्तरित कर पथ निर्माण विभाग द्वारा बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	यह पथ, पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है । ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस पथ के हस्तांतरण के उपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर पथ निर्माण की योजना पर विचार किया जा सकेगा ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–71/2016 1369(S) राँची/दिनांक 29/2/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1546 दिनांक 25.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

पी० मुर्मू
29/02/16
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–71 / 2016 1369(5) राँची / दिनांक 29/2/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

786

श्री जयप्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–02.03.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–156

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री जयप्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अंतर्गत चुरचू प्रखण्ड जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि कंसियाडीह एवं बीराखाप के बीच बोकारो नदी पर पुल नहीं होने के कारण आवागमन में स्थानीय लोगों का काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कंसियाडीह एवं बीराखाप के बीच बोकारो नदी पर चालू वित्तीय वर्ष में पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में एक पुल निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। सीमित बजट उपबंध रहने के कारण प्रश्नांकित पुल की स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 94/2016/ग्रा0का0 1086 राँची, दिनांक : 29-2-16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–1530 वि0स0 दिनांक 25.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आसिफ हसन)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 94/2016/ग्रा0का0 1086 राँची, दिनांक : 29-2-16

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 94/2016/ग्रा0का0 1086 राँची, दिनांक : 29-2-16

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

787

श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक–02.03.2016 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–न०–21 का उत्तर सामग्रीः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी में कार्तिक उराँव चौक, हरमू के समीप क्वार्टर नं०–एल०एस०/36 के सामने की भूखण्ड Open Space के रूप में चिन्हित था।	उत्तर अस्वीकारात्मक है। झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के हरमू हाउसिंग कॉलोनी में कार्तिक उराँव चौक के समीप क्वार्टर सं०–एल०एस०/36 के सामने बोर्ड का खाली छिटपुट भूखण्ड एवं इसके बाद 60'00" चौड़ी सड़क के रूप में चिन्हित है।
2	क्या यह बात सही है कि बोर्ड के उच्च पदाधिकारियों की मिलीभगत से उपरोक्त Open Space को Cut Plot बताकर गलत तरीके से बेच दिया गया है।	बोर्ड के उच्च पदाधिकारियों की किसी प्रकार की मिली भगत नहीं है। झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड की विनियमावली 2004 की अध्याय–2 की कंडिका–30 के प्रावधानानुसार छिटपुट भूखण्ड का आवंटन बोर्ड के आवंटी को ही किया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त स्थल पर भू–माफिया द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया था जिसे स्थानीय लोगों के विरोध के कारण स्थगित कर दिया गया है।	उत्तर अस्वीकारात्मक है। उपरोक्त स्थल पर आवंटी द्वारा ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया था जिसे स्थानीय लोगों के विरोध के कारण आवंटी द्वारा निर्माण कार्य को स्थगित रखा गया है।
4	उपरोक्त सभी खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त सभी खण्डों पर उच्च स्तरीय जाँच करा कर दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–07/वि०स०/आ०–02/2016.....965..... राँची, दिनांक– 22/02/16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप सं० प्र०–790/वि०स० दिनांक–14.02.2016 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/02/16
सरकार के उप सचिव।

श्री राज सिन्हा, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा से प्राप्त दिनांक–02.03.16 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–पेय–63 का उत्तर :– 788

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रखण्ड संख्या–1, धनबाद द्वारा धनबाद शहरी क्षेत्र में 40 किलोमीटर पाईप लाईन बिछाने हेतु 749.603 लाख रूपये का प्राक्कलन अभियन्ता प्रमुख पेयजल एवं स्वच्छता, धनबाद को पत्रांक–1231 दिनांक–18.12.14 द्वारा प्रेषित किया गया था ?	स्वीकारात्मक है। धनबाद शहरी जलापूर्त्ति योजना फेज–2 के अन्तर्गत जिन मुहल्लों में पाईप लाईन नहीं बिछा है, उन मुहल्लों में 40 कि0मी0 पाईप बिछाने हेतु 749.603 लाख का प्राक्कलन तैयार किया गया है। योजना की स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त राशि से 2–5 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना थी ?	उक्त पाईप लाईन के बिछ जाने से 25000 से 30000 की आबादी को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।
3.	यदि उपर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त राशि का आवंटन करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक :–5 / न0वि0 (तारांकित)–46 / 2016 1143 / राँची, दिनांक :– 01/03/16

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–1536, दि0–25.02.16 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1.3.16
सरकार के अवर सचिव।

789

डॉ0 अनिल मुरमू, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–142 का उत्तर सामग्री :–

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	डॉ0 अनिल मुरमू, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1.	क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा प्रखण्डान्तर्गत पंचायत बड़ाघघरी में पी०डब्लू०डी० सड़क कदवा से भाया बड़ाघघरी गाण्डेटोला होते हुए जातरा मैदान तक, पंचायत सोनधनी में गढ़ द्वारा से मुकरी पहाड़ संथाली टोला होते हुए बाँसजोड़ी गाँव तक, पंचायत सोनधनी में महुआटाँड़ से पहाड़िया टोला, पंचायत जोरडीहा में लालबाँध से पकड़िया गाँव तक एवं पंचायत नवाडीह में दमाई मुर्मू घर से नवाडीह पहाड़िया टोला तक की सभी सड़के काफी जर्जर स्थिति में है।	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त सड़को के पक्कीकरण के अभाव में कई गाँवों के वासियों को काफी कठिनाई होती है कभी–कभी तो आवागमन अवरूद्ध हो जाता है।	स्वीकारात्मक।
3.	अगर उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में आर०ई०ओ० या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पक्की सड़क निर्माण का इरादा रखती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों।	प्रसंगाधीन पथ पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत नहीं है। राज्य संपोषित योजना अन्तर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में मा० स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित कतिपय पथों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में बजटीय उपबंध सीमित है। अतः उक्त पथ वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में लिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–372 / 16 ग्रा0का0वि.....1125.....राँची / दिनांक–.....01-3-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–1543, दिनांक–25.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–372 / 16 ग्रा0का0वि.....1125.....राँची / दिनांक–.....01-3-16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–372 / 16 ग्रा0का0वि.....1125.....राँची / दिनांक–.....01-3-16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले),

श्री शशि भूषण सामाड, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक–02.03.2016 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–न०–15 का उत्तर सामग्रीः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पं० सिंहभूम चक्रधरपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पोटका, ईचिंडासाई, कुदलीबीड़ी, भालियाकुदर एवं धातकीडीह को ग्रम पंचायत से अलग करके नगरपालिका क्षेत्र में शामिल किया गया है;	अस्वीकारात्मक है। पोटका, ईचिंडासाई, भालियाकुदर आदि क्षेत्र चक्रधरपुर नगर परिषद में वर्षों पूर्व से शामिल हैं। धातकीडीह का आंशिक भाग उक्त नगर निकाय के अन्तर्गत है।
2	क्या यह बात है कि खण्ड–1 में वर्णित ग्रामों में गरीबी रेखा से नीचे गुजर–बसर करने वाले गरीब किसान है;	इन क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे गुजर–बसर करने वालों की संख्या अन्य लोगों से अधिक है।
3	क्या यह बात है कि उक्त ग्रामों को बिना ग्रामसभा के सहमति से ही नगरपालिका में शामिल किया गया है;	बिहार नगरपालिका अधिनियम–1922 (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) की धारा–4 (1) (a) के तहत् चक्रधरपुर नगर परिषद के गठन हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या–2551, दि०–04.12.2008 के द्वारा **"आदेश प्रारूप"** निर्गत किया गया था। उक्त आदेश प्रारूप के निर्गत होने के 45 दिनों के अन्दर प्रभावित व्यक्तियों के द्वारा किसी प्रकार का सुझाव/आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण उपायुक्त, प० सिंहभूम के पत्रांक–2063, दि०–29.06.2009 के द्वारा चक्रधरपुर नगरपालिका को लघु शहरी क्षेत्र (नगर परिषद) के रूप में घोषित किये जाने का अनुशंसा की गयी। विभागीय अधिसूचना संख्या–2167 दि०–05.09.2009 (गजट अधिसूचना संख्या–436 दिनांक–08.09.2009) के द्वारा सभी प्रकार की विहित प्रक्रियाओं को अपनाते हुए मंत्रिपरिषद् को स्वीकृति प्राप्त कर चक्रधरपुर नगर परिषद का गठन किया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वार्णित ग्रामों को नगरपालिका क्षेत्र से अविलम्ब हटाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक है। इस कंडिका का उत्तर कंडिका–3 में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–08/तारा०/102/2016/न०वि०......969........... राँची, दिनांक– 22/02/16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप सं० प्र०–575/वि०स० दिनांक–12.02.2016 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/02/16
सरकार के उप सचिव।

791

श्रीमती जोबा माझी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–20 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती जोबा माझी, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मनोहरपुर विधान सभा के गोइलकेरा से रघुनाथपुर, बला, कुईड़ा होते हुए सायतबा तक की मुख्य मार्ग जर्जर है;	1. स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ जनहित के लिए अति महत्वपूर्ण है;	2. स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में अविलंब गोइलकेरा से रघुनाथपुर, बिला, कुईड़ा होते हुए सायतबा तक की सड़क जीर्णोद्धार करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में मरम्मति मद में बजटीय उपबंध सीमित है। अतः प्रश्नाधीन पथ का मरम्मति कार्य तत्काल लिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–277 / 16 ग्रा0का0वि.....1099.....राँची / दिनांक–..29-2-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–625, दिनांक–12.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/2/16
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–277 / 16 ग्रा0का0वि.....1099.....राँची / दिनांक–..29-2-16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

29/2/16
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–277 / 16 ग्रा0का0वि.....1099.....राँची / दिनांक–..29-2-16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

29/2/16
सरकार के उप सचिव।

792

श्री जानकी प्रसाद यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–02.03.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–77

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री जानकी प्रसाद यादव, माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।**
1. क्या यह बात सही है कि बरकट्ठा विधान–सभा क्षेत्रान्तर्गत चलकुशा प्रखण्ड के चौबे एवं दलांगी के बीच बराकर नदी अवस्थित है, जो हजारीबाग एवं गिरिडीह दो जिलों को जोड़ती है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त नदी के पन्दनाटांड़ घाट पर पुल के निर्माण हो जाने से आम लोगों को आवागमन में काफी सुविधा हो जायेगी ;	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–2 में वर्णित स्थान पर पुल निर्माण का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में एक पुल निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। सीमित बजट उपबंध रहने के कारण प्रश्नांकित पुल की स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 65/2016/ग्रा0का0 1084 राँची, दिनांक : 29-2-16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–819 वि0स0 दिनांक 14.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आसिफ हसन)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 65/2016/ग्रा0का0 1084 राँची, दिनांक : 29-2-16

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 65/2016/ग्रा0का0 1084 राँची, दिनांक : 29-2-16

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

793

माननीय विधायक डॉ0 इरफान अंसारी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय0–25 का उत्तर

<table>
<tr><th>क्र0</th><th>क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–</th><th>श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाला उत्तरः–</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि आने वाले इस गर्मी में पेयजल का घोर संकट उत्पन्न होने वाला है जैसा कि विशेषज्ञयों के अनुसार भूगर्भ जलस्तर 7 से 20 मीटर तक नीचे चला गया है?</td><td>वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों में भूगर्भ जलस्तर निम्न प्रकार हैः
<table><tr><th>क0</th><th>वर्ष</th><th>वर्षापात (राज्य औसत)</th><th>राज्य का औसत भूगर्भ जलस्तर</th></tr><tr><td>1</td><td>2013</td><td>1091.9 mm</td><td>12.6 मीटर</td></tr><tr><td>2</td><td>2014</td><td>926.7 mm</td><td>12.71 मीटर</td></tr><tr><td>3</td><td>2015</td><td>941.9 mm</td><td>13.15 मीटर</td></tr></table>उक्त से स्पष्ट है कि जलस्तर पूर्व वर्षो के अनुरूप ही है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>यदि उपरोक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या झारखण्ड वासियों को पेयजल की व्यवस्था करने की दिशा में त्वरित कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?</td><td>राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में निम्न प्रकार चापाकल की मरम्मति कर चापाकल चालू किया गया है।
(A) चापाकलों का पुननिर्माण
विभाग द्वारा – 4946
आपदा निधि द्वारा – 809
कुल 5755
(B) सड़े राईजर पाईप को बदलकर चापाकलों को चालू किया गया
विभाग द्वारा – 10189
आपदा निधि द्वारा – 13501
कुल 23690
(C) साधारण मरम्मति कर चालू किये गये चापाकलों की संख्या – 95758
उक्त के अतिरिक्त राज्य में वर्ष 2014–15 में 22 (बाईस) नदी आधारित पाईप जलापूर्ति योजना तथा 1407 मिनी/सोलर आधारित योजना चालू कर आच्छादन कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 की समाप्ति तक 34 अदद नदी आधारित पाईप जलापूर्ति योजना तथा 904 अदद मिनी योजना पूर्ण कर आच्छादन बढ़ाया जा रहा है।
सरकार द्वारा राज्य में 13457 अदद चापाकलों पुर्नस्थापन तथा 19010 अदद सडे राईजर पाईप को बदलकर चापाकलों को चालू करने हेतु निविदा विभिन्न प्रमण्डल से किया गया है। चापाकलों की साधारण मरम्मति निर्वाध रुप से की जा रही है। इस तरह पेयजल समस्या के ग्रीष्म ऋतु में नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा कार्रवाई सतत जारी है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः 8/वि0स0(ता0)प्र0सं0–10/2016 (पेय0) – 399/SWSM दिनांक 27.2.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक 777 वि0स0 दिनांक 14.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/2/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः 8/वि0स0(ता0)प्र0सं0–10/2016 (पेय0)– 399/SWSM दिनांक 27.2.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव (प्रशाखा–5), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/2/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

NRDWP, Mukesh

794

माननीय विधायक श्री अमित कुमार मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय–40 का उत्तर

क्र.	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाला उत्तरः–
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के शिल्ली विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में पेयजल विभाग द्वारा कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई है?	अस्वीकारात्मक। सिल्ली विधान सभा क्षेत्र में योजनाओं की स्थिति निम्न प्रकार हैः–

क्र.	सिल्ली विधानसभा क्षेत्राधीन आने वाले आंशिक/पूर्ण प्रखण्ड	सिल्ली प्रखण्ड	सोनाहातु प्रखण्ड	राहे प्रखण्ड	अनगड़ा प्रखण्ड
1	आबादी	97393	77252	53916	2806
2	कुल नलकूप की संख्या	2459	1166	958	611
3	कुल चालू नलकूप	2286	884	793	540
4	चालू वृहत ग्रामीण जलापूर्ति योजना की संख्या	5	1	1	–
5	लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना की संख्या	41	14	15	2
6	निर्माणाधीन लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना की संख्या	3	4	–	–

- सिल्ली राधिका मैदान में मोटर पम्प की मरम्मति, पाईप लाईन का विस्तारीकरण आदि कार्य कर चालू किया गया।
- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड के द्वारा उपायुक्तों के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी राशि से वित्तीय वर्ष 2015–16 में निम्नलिखित कार्यों की स्वीकृति दी गयी हैः–

क्र.	सिल्ली विधानसभा क्षेत्राधीन आने वाले आंशिक/पूर्ण प्रखण्ड	सिल्ली प्रखण्ड	सोनाहातु प्रखण्ड	राहे प्रखण्ड	अनगड़ा प्रखण्ड
1	HYDT	8	3	2	-
2	DT	-	5	-	1
3	Changing of RRP	15	9	21	15
4	Solar	-	3	5	-

- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं. 59 दिनांक 26.11.2015 के द्वारा 2000 अदद सौर ऊर्जा चालित लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना (Subsidy by MNRE) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजनान्तर्गत राँची जिला का कुल स्वीकृत लक्ष्य–100 अदद है। उपायुक्त, राँची द्वारा स्थल अनुमोदन किया जायेगा। योजना की लागत 470.00 लाख है।
- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं. 62 दिनांक 15.12.2015 के द्वारा 602 अदद सौर ऊर्जा चालित लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना (Subsidy by NCEF) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजनान्तर्गत राँची जिला का कुल स्वीकृत लक्ष्य–34 अदद है। उपायुक्त, राँची द्वारा स्थल अनुमोदन किया जायेगा। योजना की लागत 159.8 लाख है।
- सोनाहातु प्रखण्ड मुख्यालय हेतु ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना निर्माण कार्य के लिये DPR बनाया जा रहा है। इस योजना से सोनाहातु– 2683, निमडीह–1343, बारूहातु–2271, गोमियाडीह–856, गाढ़ाडीह–1181 एवं करमाली–527 कुल–8861 ग्रामीण आबादी को आच्छादित करने का लक्ष्य है।

2	यदि खण्ड (1) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शिल्ली विधान सभा क्षेत्र हेतु 2015–16 में पेयजल से संबंधित योजना स्वीकृत करना चाहती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–1 में उत्तर स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः 7/ ता0 प्र0–01–34 / 2015 – 400/SWSM दिनांक 27.2-16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक 917 वि0स0 दिनांक 16.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः 7/ ता0 प्र0–01–34 / 2015 – 400/SWSM दिनांक 27.2.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव (प्रशाखा–5), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

796

माननीय विधायक श्री अनन्त कुमार ओझा, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय0–46 का उत्तर

क्र0	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाला उत्तर:–
1	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के प्रखण्ड कमश: साहेबगंज, राजमहल एवं उधवा में पेयजल की समस्या है और अधिकांश चापाकल जीर्ण–शीर्ण अवस्था में पड़े हुए है;	साहेबगंज, राजमहल एवं उधवा प्रखण्ड में पेयजल हेतु नलकूप की स्थिति निम्न है:– क्र॰ | प्रखंड का नाम | कुल नलकूप 1 | साहेबगंज | 1425 2 | राजमहल | 2289 3 | उधवा | 2374 कुल आबादी 391732 है तथा 5259 चापाकल कार्यरत है। इस प्रकार प्रति 75 की आबादी पर एक चापाकल कार्यरत है जो राष्ट्रीय मानक के अनुसार दो गुणा एवं पर्याप्त है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित प्रखण्ड में वर्ष 2015 से आदिनांक तक विभाग द्वारा एक भी चापाकल कि मरम्मति एवं पेयजल की समस्या का समाधान नहीं किया गया है, जिसके कारण स्थानीय आमजन को कठिनाईयॉ हो रही है;	अस्वीकारात्मक। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, साहेबगंज के द्वारा वर्ष 2015–16 में चापाकल की साधारण मरम्मति एवं सड़े राईजर पाईप को बदलकर चालू की गई निम्न प्रकार है:– क्र॰ | प्रखंड का नाम | साधारण मरम्मति किये गये नलकूप की सं॰ माह–अप्रैल' 15 से जनवरी' 2016 | सड़े राईजर पाईप को बदलकर चालू किये गये नलकूप की संख्या (आपदा शीर्ष से) 1 | साहेबगंज | 318 | 65 2 | राजमहल | 632 | 195 3 | उधवा | 465 | 206 कुल | 1415 | 466 इसके आलावे वर्ष 2015–16 में 19 अदद लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं भी NRDWP मद से चालू की गई है। इसके अतिरिक्त राजमहल पाईप वाटर सप्लाई योजना मार्च 2016 में प्रारम्भ हो रही है। जो इससे 16625 आबादी आच्छादित होगी।
3	यदि उक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्ड में नये चापाकल लगाने तथा जीर्ण–शीर्ण अवस्था में पड़े चापाकल को गर्मी के मौसम के पूर्व दुरूस्त कराने का विचार रखती है, यदि हॉ, तो कबतक, नही तो क्यों?	हॉ, आपदा प्रबंधन शीर्ष से नलकूपों का पुर्नस्थापन कार्य का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके तहत मृत नलकूपों को बदले नये नलकूप का निर्माण राजमहल, उधवा तथा साहेबगंज में कुल 286 अद्द पुननिर्माण की जायेगी, जिसकी निविदा की प्रक्रिया की जा रही है। साधारण मरम्मति का कार्य सतत जारी है। प्रत्येक प्रखंड में एक–एक अद्द वाहन रखकर मरम्मति का कार्य किया जा रहा है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों यथा जिला स्तर पर गठित Control Room में प्राप्त शिकायत/जन संवाद से प्राप्त शिकायत/विभाग के द्वारा गठित Control Room एवं क्षेत्र भ्रमण के क्रम में प्राप्त शिकायतें इत्यादि के आधार पर साधारण मरम्मति का कार्य की जा रही है। आवश्यकतानुसार गर्मी में प्रत्येक प्रखंड में अतिरिक्त वाहन रखकर मरममति का कार्य की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः 8/वि0स0(ता0)–17/2016 (पेय0)– 398/SWSM दिनांक 27.2.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक 1129 वि0स0 दिनांक 17.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः 8/वि0स0(ता0)–17/2016 (पेय0)– 398/SWSM दिनांक 27.2.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव (प्रशाखा–5), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

797

श्री अशोक कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–02 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री अशोक कुमार, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत मेहरमा प्रखण्ड में लिलातरी से बुधासन रोड एवं मैनाचक से चांदपुर रोड अत्यंत ही जर्जर हो गया है, जिसके कारण आवागमन में आम जनता को काफी परेशानी होती है;	1. स्वीकारात्मक।
2. यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त वर्णित सड़क की मरम्मति कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	2. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में मरम्मति मद में बजटीय उपबंध सीमित है। अतः प्रश्नाधीन पथ का मरम्मति कार्य तत्काल लिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–271 / 16 ग्रा0का0वि.....1122.....राँची / दिनांक–...01-3-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–642, दिनांक–12.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–271 / 16 ग्रा0का0वि.....1122.....राँची / दिनांक–...01-3-16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–271 / 16 ग्रा0का0वि.....1122.....राँची / दिनांक–...01-3-16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

798

मा0, स0वि0स0, श्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा दिनांक 02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ 16 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सही है कि NH-75 पड़वा–गढ़वा–मुड़ीसेमर पथ का निर्माण कार्य 18.01.2011 को प्रारम्भ किया गया था ;	स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि 19.01.2016 को 05 वर्ष हो जाने के बाद भी खंड–1 में वर्णित पथ का निर्माण कार्य अधुरा पड़ा हुआ है, फलस्वरूप सुलभ आवागमन बाधित हो रहा है;	स्वीकारात्मक ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पथ का निर्माण कार्य पूरा कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	राँची–डालटनगंज–मुरीसेमर (NH-75) का निर्माण कार्य 70% पूर्ण हो चुका है। मुख्य अभियंता राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, पथ निर्माण विभाग द्वारा संवेदक को दिनांक 31.03.2016 तक समयावधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–12/2016 1366(S) राँची/दिनांक : 29/2/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 280 दिनांक 10.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

पी० मुर्मू
29/02/16
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–12/2016 1366(S) राँची/दिनांक : 29/2/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

पी० मुर्मू
29/02/16
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

799

श्री मनीष जयसवाल, मा०स०वि० सभा द्वारा दिनांक 02.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय – 55 का उत्तर

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाला उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में वर्षो से बिना फिल्टर के प्रदूषित पेयजल की आपूर्त्ति की जा रही है जिससे उक्त क्षेत्र के लोगों को हमेशा पेट से संबंधित परेशानियाँ होती है।	**उत्तर अस्वीकारात्मक है।** हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में छड़वा प्लांट, जेल प्लांट एवं सर्किल प्लांट से जलशोध कर पेयजलापूर्त्ति की जाती है। साथ ही साथ विभाग के द्वारा कुम्हार टोली पारनाला, खिरगाँव एवं सर्वोदय कॉलोनी में एक–एक अदद् उच्च प्रवाही नलकूपों में Submersible मोटर पम्प अधिष्ठापित कर भी सीधी पेयजलापूर्त्ति की जाती है। पेयजलापूर्त्ति से शहरी क्षेत्रों के लोगों को पेट से संबंधित बीमारी की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं है। शहरी क्षेत्रों में की जा रही पेयजलापूर्त्ति के भिन्न–भिन्न स्थानों से जल नमूनों को एकत्रित कर जिला स्तरीय जल जाँच प्रयोगशाला, हजारीबाग में भी जल की शुद्धता की जाँच की जाती है। इसके अतिरिक्त नगर निगम, हजारीबाग के द्वारा 24 अदद् उच्च प्रवाही नलकूपों में Submersible पम्प अधिष्ठापन कर भैट्स के माध्यम से भी हजारीबाग शहरी क्षेत्र में पेयजलापूर्त्ति की जाती है। नगर निगम के क्षेत्राधीन ड्रिल्ड नलकूपों से भी जलापूर्त्ति की जाती है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित क्षेत्र में वाटर ट्रिटमेंट फिल्टराईज प्लांट के नाम पर प्रति वर्ष लाखों रुपये राशि की निकासी की जाती है, जबकि प्लांट में मैन पावर की घोर कमी वर्षो से है।	वस्तुस्थिति यह है कि हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ जलापूर्त्ति हेतु रसायन मद में वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में क्रमशः 22.85 लाख, 21.035 लाख, 21.942 लाख एवं 17.910 लाख रुपये आवंटित किये गये है। विभागीय संसाधन (Man Power) के आधार पर स्वच्छ जलापूर्त्ति हेतु कार्यो का सुचारू सम्पादन किया जा रहा है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–01 में वर्णित विधानसभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रदूषित पेयजल के बदले शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखंड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः–7/ता०प्र० –02–43/2015 1015 राँची, दिनांकः– 1/3/16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय को उनके पत्रांक 1511 दिनांक 25.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

01/3/16

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–7/ता०प्र० –02–43/2015 1015 राँची, दिनांकः 1/3/16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, प्रशाखा–5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

01/3/16

सरकार के अवर सचिव

01.3.16

800

श्री जय प्रकाश सिंह भोगता, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक–02.03.2016 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–न०–13 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जिला चतरा के झुमरा से नगमा बाईपास पथ नगरपालिका क्षेत्र अन्तर्गत आती है;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि नगरपालिका के अधीन होते हुए भी इस पथ का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है;	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि उक्त पथ का निर्माण पथ निर्माण प्रमंडल, चतरा के द्वारा प्रस्तावित है। इस हेतु चतरा नगर परिषद के पत्रांक–1137 दिनांक–30.09.2014 द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र पथ निर्माण विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रस्तावित पथ का डी०पी०आर० पथ निर्माण विभाग द्वारा तैयार कराया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–05 / न०वि० / तारांकित–09 / 2016.....1093..... राँची, दिनांक– ...29/02/16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप सं० प्र०–243 / वि०स० दिनांक–10.02.2016 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।
29/2/16

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–97 का उत्तर सामग्री

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में पंचायत राज विभाग में ई–पंचायत परियोजना व्यवस्था लागू करने हेतु राज्य के सभी जिलों में कम्प्यूटर एवं अन्य आवश्यक उपस्कर इत्यादि से सुसज्जित IT सेल का गठन किया गया है ?	स्वीकारात्मक । राज्य के 22 जिलों में IT सेल का गठन किया जा चुका है । मात्र सिमडेगा एवं लोहदगा जिला में IT सेल गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।
(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष–2014 में तकनीकी रूप से दक्ष कर्मियों का नियमानुसार संविदा के आधार पर नियुक्ति हुई है जो आज भी अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे है ?	अस्वीकारात्मक । संविदा के आधार पर नियुक्ति नहीं की गई है । जैप आई0टी0 के माध्यम से वाहय स्त्रोत से कर्मियों की सेवा प्राप्त की गई थी तथा जैप आई0टी0 ने भी ई–सेंटरिक से वाहय स्त्रोत के आधार पर सेवा प्राप्त की थी । वर्तमान में ई–सेंटरिक ने जैप आई0टी0 से अपना अनुबंध माह अक्टूबर में समाप्त कर दिया है । ये सभी बिना अनुबंध के ही वैकल्पिक व्यवस्था होने तक कार्यरत हैं ।
(3) क्या यह बात सही है कि हाल में पुनः विभाग द्वारा SPM, STC, SAE, DPM, ADPM इत्यादि के कुल 51 पदों पर बहाली हेतु विज्ञापन प्रकाशित हुए हैं जिसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताओं के बदले अन्य शैक्षणिक योग्यता भी जानबूझ कर जोड़ दिए गए है ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । 51 पदों के लिए बहाली हेतु विज्ञापन प्रकाशित हुए हैं। भारत सरकार के सुझाव एवं ई–पंचायत की योजना की आवश्यकता के अनुरूप इन पदों की योग्यता का निर्धारण किया गया है ।
(4) उपरोक्त सभी खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूर्व से कार्यरत योग्य कर्मियों का समायोजन कर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप करते हुए बाकी शेष बचे पदों पर ही बहाली करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कार्यरत कर्मियों की सेवा वाहय स्त्रोत से प्राप्त की गई थी जिनका सेवा अनुबंध समाप्त हो गया है । अतएव समायोजन का मामला ही नहीं बनता है । विज्ञापन के आधार पर नई नियुक्ति की जाएगी ।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांकः–1स्था(वि0)–69 / 2016—729—/, राँची, दिनांकः– 1.3.16

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक संख्या 811 दिनांक 14.02.2016 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/3/16
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– –1स्था(वि0)–69 / 2016—729—/, राँची, दिनांकः– 1.3.16

प्रतिलिपिः– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य / माननीय मंत्री, पंचायती राज, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

1/3/16
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– –1स्था(वि0)–69 / 2016—729—/, राँची, दिनांकः– 1.3.16

प्रतिलिपिः– उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

1/3/16
सरकार के अवर सचिव

(802)

मा0, स0वि0स0, श्री सुखदेव भगत द्वारा दिनांक 02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ 54 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि लोहरदगा टाउन के बीचो–बीच मुख्य सड़क पर मालवाहक एवं यात्री बसों का भारी आवागमन रहने से ट्रैफिक अत्यधिक व्यस्त एवं जाम हो जाता है जिससे जनता को आवागमन में कठिनाई होती है ;	स्वीकारात्मक ।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड (1) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मुख्य सड़क पर ट्रैफिक दबाव कम करने एवं सुगम आवागमन हेतु लोहरदगा शहर के लिए रिंग रोड के निर्माण का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	सड़क पर दबाव कम करने के लिए लोहरदगा बाईपास का निर्माण झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से एशियन विकास बैंक के ऋण से कार्यान्वित करने हेतु स्वीकृत है। भू–अर्जन की प्रक्रिया चल रही है । भू–अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत इसके निर्माण हेतु अग्रतर कार्यवाई की जायेगी ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–60 / 2016 1360(5) राँची / दिनांक : 29/2/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1195 दिनांक 18.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

पी० मुर्मू
29/2/16
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–60 / 2016 1360(5) राँची / दिनांक : 29/2/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

पी० मुर्मू
29/2/16
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

803

श्री लक्ष्मण टुडू, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 02.03.16 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0– पेय–61 का उत्तर

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत मुसाबनी प्रखंड के मुसाबनी बाजार एवं आसपास के 10,000 (दस हजार) ग्रामीणों को कम्पनी तालाब से H.C.L. (हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड) द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जाती थी,	स्वीकारात्मक है। मुसाबनी प्रखंड के मुसाबनी बाजार एवं आसपास के ग्रामीणों को कम्पनी तालाब से जलापूर्ति की जाती थी एवं आंशिक जलापूर्ति अभी भी की जा रही है।
2	क्या यह बात सही ह कि H.C.L. द्वारा विगत वर्ष 2003 से उस क्षेत्र के ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल के लिए कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कराया गया है,	कम्पनी द्वारा आंशिक जलापूर्ति के अतिरिक्त कोई अन्य व्यवस्था नहीं किया गया है। लेकिन विभाग के द्वारा भी पेयजल हेतु नलकूप लगाये गये हैं, जिसमें से वर्त्तमान में 105 अदद चालू अवस्था में है। इस प्रकार 95 व्यक्ति पर एक अदद नलकूप चालू है, जो कि भारतीय मानक (150 व्यक्तिपर 1 अदद नलकूप) से अधिक है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार H.C.L. द्वारा उन 10,000 ग्रामीणों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो?	नीर निर्मल परियोजना अन्तर्गत पुनर्गठन (Rehabilitation) अन्तर्गत मुसाबनी ग्रामीण जलापूर्ति योजना का चयन बैच–2 में किया गया है

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः JSWSMS/WB/20/2016 (पेय0) 1018 दिनांक 1/3/16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक 1510 वि0स0 दिनांक 25.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.3.16
उप सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः JSWSMS/WB/20/2016 (पेय0) 1018 दिनांक 1/3/16

प्रतिलिपिः अवर सचिव (प्रशाखा–5), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.3.16
उप सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

804

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 02.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–148 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0 सं0	प्रश्नकर्ता – श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, मा0 स0वि0स0	उत्तरदाता– श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री (ग्रा0वि0वि0)
1.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिलांतर्गत गढ़वा प्रखण्ड में वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्रखण्ड के पदाधिकारी/प्रखण्ड कर्मचारी एवं बिचौलिए की मिलीभगत से 80 लाख की फर्जी निकासी होने की वजह से सैकड़ों इंदिरा आवास का निर्माण कार्य की दूसरे किस्त नहीं मिलने की वजह से बाधित है।	आंशिक स्वीकारात्मक वस्तुस्थिति यह है कि इंदिरा आवास योजना मद से चेक संख्या 183951/20.04.2012 द्वारा 10,89,800/– रूपये मात्र की ही अवैध निकासी की गयी है। शेष राशि अन्य मदों की है।
2.	यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उन लंबित इंदिरा आवासों के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के लिए बढ़े हुए दर से भुगतान कराने एवं सरकारी राशि की Recovery करते हुए दोषियों पर कार्रवाई का विचार रखती है, यदि हाँ , तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपायुक्त गढ़वा से गढ़वा प्रखण्ड में इंदिरा आवास योजना अंतर्गत अवैध निकासी की गयी राशि की वसूली करने का निदेश दिया गया है। उक्त गबन की गयी राशि की वसूली के अभाव में लंबित इंदिरा आवासों को तत्काल जिला में उपलब्ध राशि से किस्तों का भुगतान कर पूर्ण कराया जायेगा एवं राशि की वसूली होने के पश्चात उक्त राशि का समायोजन किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक 1218

ग्रा0वि0 08–वि0स0–23/2016

दिनांक 01/03/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–1538/वि0स0 दिनांक 25.02.2016 के क्रम में 200 प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2016

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक 1218

ग्रा0वि0 08–वि0स0–23/2016

दिनांक 01/03/16

प्रतिलिपि :– श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री (ग्रा0वि0वि0) के आप्त सचिव/श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय स0वि0स0 के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2016

सरकार के अवर सचिव।

Vidhansabha